ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

मई 2018 / अंक 04

मई 2018
अंक-4

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-15

- विशालकाय कंपनियाँ बनाम विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ
- पोखरण परीक्षणः नाभिकीय शक्ति के आगाज से अब तक
- वर्तमान में बढ़ते कैदी बनाम जेलों की निहित क्षमता
- उपचार की आस लगाए भारतीय धमनियाँ
- डार्क नेटः इंटरनेट का श्याह पक्ष
- विरासत में मिली संपदा का कैसे हो संरक्षण?
- जैव-ईंधनः ऊर्जा के नये वैकल्पिक स्रोत

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 16-20

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 21-27

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 28-36

सात महत्वपूर्ण तथ्य 37

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी) 38

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 39

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. विशालकाय कंपनियाँ बनाम विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ

चर्चा में क्यों

आज वालमार्ट जैसी कुछ चुनिंदा विशालकाय कंपनियों ने सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को अपने आगोश में ले लिया है। कुछ साल पहले अपने देश में बहुत सारे लोगों ने वालमार्ट का नाम पहली बार तब सुना था, जब खुदरा कोराबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देने की पहल हुई थी। तब बड़े पैमाने पर यह आशंका जताई गई थी कि अगर यह पहल आगे बढ़ी, तो भारत के खुदरा कारोबार पर वालमार्ट जैसी विदेशी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा और इससे करोड़ों छोटे दुकानदारों की आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा। विरोध के फलस्वरूप आखिरकार मनमोहन सिंह सरकार को बहु-ब्रांड खुदरा व्यवसाय में एफडीआइ को मंजूरी देने का प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था। लेकिन वैश्विक कम्पनियाँ खुदरा क्षेत्र में आने के लिए लगातार प्रयासरत रही हैं। विदित है कि एडीआई के लिए खुदरा क्षेत्र 100% नहीं खुला है परंतु वालमार्ट ने खुदरा क्षेत्र में आने के लिए ऑनलाइन रास्ता चुना है, वह भी फ्लिकार्ट के अधिग्रहण के जरिए। उसने ई-कॉमर्स की भारत की दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट की 77 फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली है। यह वालमार्ट की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है और इसके फलस्वरूप अब वही भारत के ई-कॉमर्स में अमेजॉन की प्रमुख प्रतिद्वंदी कंपनी होगी। अमेजॉन भी अमेरिकी कंपनी है और इस तरह भारत के ऑनलाइन खुदरा कारोबार पर वर्चस्व की लड़ाई दो अमेरिका कंपनियों के बीच ही होगी।

पृष्ठभूमि

वैश्वीकरण के इस युग में विशाल अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों ने पूरे विश्व को ही अपना कार्य क्षेत्र व बाजार क्षेत्र बना लिया है। एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का आशय एक ऐसी कम्पनी से है जो एक से अधिक देशों में अपने उत्पाद बेचती हो, जिसने एक से अधिक देशों में संसाधन जुटा कर उत्पादन ईकाइयाँ स्थापित की हो भले ही इसका मुख्य ऑफिस मूल देश में हो परंतु इसका प्रबंधन विभिन्न देशों के स्तर पर किया जाता हो।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इतिहास की जड़ें मध्यकाल में वेनिस, अंग्रेज, डच व फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा स्थापित कंपनियों में मिलती हैं। प्राचीन सभ्यता में भी व्यापारियों द्वारा दूसरे देशों में जाकर व्यापार करने के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन यह व्यापार मुख्यत: स्वतंत्र व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता था। आधुनिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चरित्र वाली दुनिया की सबसे पहली कंपनी 'द मस्कोवी कम्पनी' मानी जाती है जिसकी स्थापना सन् 1553 में हुई थी। इस कम्पनी ने अपनी स्थापना के 3 वर्षों के बाद ही दुनिया के महत्वपूर्ण शहरों में अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित कर लिए थे। सन् 1553 से 1581 तक 'मस्कोवी कम्पनी' ने अकूत मुनाफा कमाया। सन् 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। इसने जैसा व्यापार किया उससे प्रत्येक भारतीय परिचित है। इसके बाद सन् 1750 के बाद का दौर ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का दौर था, जिसके दौरान उत्पादन की तकनीक में आमूल परिवर्तन आया। सन् 1600 से 1750 के बीच अंग्रेजी कंपनियों ने, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भी शामिल थी, अंग्रेजों को अकूत पूँजी का मालिक बना दिया 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आकार व समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि होने लगी थी। खुले बाजार की अर्थव्यवस्था का नारा देकर इन कम्पनियों ने कई देशों के पुश्तैनी रोजगार-धंधों को चौपट किया।

आज के विश्व में भले ही देश राजनैतिक रूप से गुलाम न हो परंतु आज भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कुछ चुनिंदा कम्पनियों का कब्जा है या कह सकते हैं ये वैश्विक अर्थव्यस्था पर अत्यधिक प्रभाव रखती हैं। वालमार्ट, स्टेट ग्रिड, चाइना नेशनल पेट्रोलियम, टोयोटा, रॉयल डच शेल, एप्पल, अमेज़ॉन आदि ऐसी विशालकाय कंपनियाँ हैं जिनमें अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखने लगता है। इन कम्पनियों का टर्न ओवर कई बार कई छोटे-छोटे देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा होता है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों से होने वाले लाभ

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ जब भी किसी देश में आती हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था को बड़े स्तर पर प्रभावित करती हैं जिसके निम्न लाभ उस देश को प्राप्त होते हैं-

1. ऐसी कम्पनियाँ बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करती हैं।
2. बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी का आगमन होता है। यह पूंजी अल्पविकसित व विकासशील देशों में विकास कार्यों को प्रोत्साहन देती है।

3. ये कम्पनियाँ अपने साथ उन्नत तकनीकी तथा ज्ञान लेकर आती हैं जिससे मेजबान देश के निष्क्रिय संसाधनों का उपयोग हो पाता है साथ ही वहाँ के नागरिकों में भी कुशलता आती है, जिससे उनकी आय बढ़ती है।
4. ये कंपनियाँ मेजबान देशों को अपने निर्यात में वृद्धि करने में मदद करती है। इस प्रकार वे मेजबान देश के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार में मदद करती हैं।
5. ये कम्पनियाँ एक देश से दूसरे देश में तकनीकी विकास के हस्तांतरण की प्रमुख साधन हैं। ये कम्पनियाँ नवीनतम प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग करती हैं। इन नवीनतम प्रबंधन तकनीकों के द्वारा ये बेहतरीन प्रबंधन पेशेवरों को बनने में मदद करती हैं।
6. इन कम्पनियों के आने से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है जिससे मेजबान देशों के स्थानीय उत्पादक अपनी उत्पादों की गुणवत्ता को सुधारते हैं। अपनी तकनीकी में सुधार लाते हैं। साथ ही उत्पादों की कीमतों में कमी करते हैं। इस प्रकार इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने स्थानीय एकाधिकारियों के शोषणकारी प्रथाओं को समाप्त कर दिया है। भारत में बहुत सी स्थानीय कम्पनियों ने इसी प्रतिस्पर्धा के कारण ISO 9000 गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं।
7. बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विश्व अर्थव्यवस्था के साथ विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करती हैं। अपने अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के माध्यम से, बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे और संस्कृति को बढ़ावा देती हैं साथ विश्व शांति और समृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लेकर चिंताएँ

1. बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपनी विशाल आर्थिक शक्ति के कारण ऐसे घरेलू उद्योगों के लिए खतरा पैदा करती हैं, जो अभी भी विकास की प्रक्रिया में हैं। कई बार स्थानीय उद्योग इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मुकाबला नहीं कर पाते जिससे उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
2. ये कम्पनियाँ बड़ी मात्रा में लाभ कमाती हैं और ये पैसा अपने देश (जिस देश की ये कम्पनियाँ होती हैं) में भेजती हैं जिससे मेजबान देश से बड़ी मात्रा में पैसा विदेश चला जाता है।
3. इन कंपनियों द्वारा अधिकांशतः उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जो अमीरों द्वारा उपयोग किया जाता है। सामान्यतः इनका लाभ गरीब जनता तक नहीं पहुँचता।
4. प्रारंभ में इन कम्पनियों द्वारा मेजबान देश की सरकार को कई तरीकों से मदद दी जाती है और फिर ये कंपनियाँ धीरे-धीरे वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप शुरु कर सरकारी नीतियों को प्रभावित करना शुरु कर देती हैं। ऐसे में ये लम्बे समय में देश की आजादी के लिए निहित खतरा हैं।
5. ये कम्पनियाँ देश के सबसे लाभदायक क्षेत्र में निवेश करती हैं और मेजबान देश के राष्ट्रीय लक्ष्यों व प्राथमिकताओं की उपेक्षा करती हैं। ये पिछड़े क्षेत्रों के विकास की परवाह नहीं करती हैं और न ही गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं की।
6. बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ शक्तिशाली आर्थिक संस्थाएँ हैं। जब एक बार वे स्थानीय प्रतिस्पर्धा समाप्त कर देती हैं और एकाधिकार स्थापित कर लेती हैं तो फिर अन्धी कमाई शुरु कर देती हैं जिससे उपभोक्ताओं का उत्पीड़न होता है।
7. ये एमएनसी (MNCs) मेजबान देशों में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करती हैं। कई बार इसके कारण प्राकृतिक संसाधनों में तेजी से कमी आ जाती है। इन गतिविधियों से मेजबान देश के आर्थिक विकास को स्थायी नुकसान पहुँच सकता है।
8. बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ मेजबान देश के बड़े व्यावसायिक घरानों से हाथ मिलाती हैं। इससे ये शक्तिशाली एकाधिकारी के रूप में उभरती हैं। इससे कुछ हाथों में आर्थिक शक्ति की एकाग्रता होती है। इस प्रकार के एकाधिकार ने धीरे-धीरे इन लोगों को गरीबों का शोषण करने और गरीब मजूदर वर्ग की लागत पर खुद को समृद्ध करने का जन्म सिद्ध अधिकार दे दिया है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आवश्यकता

आखिर भारत के लिए यह चिंता का विषय क्यों है, ये समझना आसान है। भारत विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है लेकिन आज भी ये विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है। भारत की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की स्थिति आज भी कमज़ोर है। गरीबी अपने सबसे निचले स्तर पर है। आर्थिक संसाधन आज कुछ सीमित हाथों तक ही हैं। जीडीपी और आर्थिक विकास ही आज भारत का एक मूलमंत्र रह गया है। लेकिन इस विकास की होड़ में गरीब और मध्यम वर्ग बहुत पीछे खड़ा है बैंकिंग पूंजी और बड़े प्रतिस्पर्धी उद्योगों की होड़ में भारत के छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों के दब जाने का खतरा लगातार बना हुआ है ये ऐसी समस्याएँ हैं जिनसे निपटने के लिए भारत सरकार व भारतीय जनता लगातार जूझ रही है।

परंतु हमें आशावादी दृष्टिकोण अपनाना होगा और हमें यह समझना होगा कि वक्त हमारा है, और अब सही समय है जब वैश्विक कंपनियों को भारत में आकर निवेश करना चाहिए और अब वो करेंगे भी। विदेशों से आने वाले निवेश से भारत के आर्थिक विकास की गति तेज होगी और भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था बन के सामने आएगा। आज भारत वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में संरक्षणवादी दृष्टिकोण अपनाना विकास में बाधक होगा। जो लोग नव-उपनिवेशवाद की बात करके संरक्षणवाद की तरफ बढ़ने की बात करते हैं उन्हें यह समझना होगा कि अब भारत पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा क्योंकि भारत अब अपनी शर्तों पर विकास करेगा और जिसे भी भारत के साथ व्यापार करना है उसे भारत के नियम कायदे-कानून मानने होंगे।

आगे की राह

वैश्विक विकास को पुनर्जीवित करने के लिए सम्पूर्ण विश्व नई रणनीतियों पर परिचर्चा कर रहा है, परंतु अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई जैसी कई चुनौतियाँ आज भी हैं। अमीर और गरीब देशों के बीच पर्याप्त अंतर विद्यमान है। जलवायु परिवर्तन और बिना रोजगार के विकास जैसी समस्याएं भी हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को तवज्जो देनी होगी। बड़े उद्यम और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को वैश्विक मूल्य व आपूर्ति श्रृंखला की जरूरत पड़ती है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बिना संभव नहीं है। समय की आवश्यकता है कि बड़े और छोटे उद्यमों के परस्पर संबंध को मजबूत बनाया जाए और दोनों मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करें। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर विकसित देशों द्वारा संरक्षणवाद के बढ़ते कदमों को रोकना चाहिए तथा विकासशील देशों को भी आगे बढ़ने का अवसर मुहैया कराना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिकी नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।

■

2. पोखरण परीक्षणः नाभिकीय शक्ति के आगाज से अब तक

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए 20 वर्ष पहले हुए परमाणु परीक्षण को याद करते हुए कहा कि, पोखरण-2 परमाणु परीक्षण ने दुनियाभर में भारत की परमाणु क्षमता का लोहा मनवाया था।

पीएम ने कहा कि पोखरण परीक्षण को 20 साल हो गए हैं और यह परीक्षण महात्मा बुद्ध के आर्शीवाद के साथ बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन 11 मई 1998 में हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का परमाणु परीक्षण सिर्फ सफल ही नहीं रहा बल्कि इसके जरिए भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी ताकत का भी लोहा मनवाया।

उन्होंने कहा कि इस परीक्षण ने दुनिया को दिखा दिया था कि भारत महान वैज्ञानिकों की भूमि है और मजबूत नेतृत्व से दूरस्थ स्थानों तक पहुंच कर नए कीर्तिमान कायम कर सकता है। इसके साथ पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री के कथन को याद करते हुए कहा कि, इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 'जय जवान जय किसान, जय विज्ञान' का नारा दिया था।

पृष्ठभूमि

राजस्थान के जैसलमेर जिले में थार रेगिस्तान में स्थित पोखरण एक प्राचीन विरासत का शहर रहा है। इसके चारो और पांच बड़ी लवणीय चट्टानें हैं। पोखरण का शाब्दिक अर्थ है पांच मृगमरीचिकाओं का स्थान। यह स्थल पहली बार सुर्खियों में तब आया, जब भारत ने यहां शृंखलाबद्ध परमाणु परीक्षण किए। 18 मई, 1974 को, पोखरण में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका कूट था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भारत के परमाणु शक्ति संपन्न होने की दिशा में काम वर्ष 1945 में ही शुरू हो गया था, जब डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव रखी।

1950 के दशक में प्रारंभिक अध्ययन बीएआरसी में किये गए और प्लूटोनियम तथा अन्य बम घटकों के उत्पादन व विकसित करने की योजना थी। 1962 में भारत और चीन युद्ध में भिड़ गये। इस युद्ध में भारत को अपने कई इलाके शर्मनाक तरीके से चीन के हाँथों गंवाने पड़े थे। इसके बाद 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर महाद्वीप में अपनी धौंसपट्टी तेज कर दी। दुश्मन पड़ोसी की ये हरकतें भारत को चिंतित व विचलित कर देने वाली थीं। 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी व भौतिक विज्ञानी राजा रमन्ना के प्रयासों में शामिल होने पर परमाणु कार्यक्रम समेकित (कंसोलिडेट) किया गया। चीन के द्वारा एक और परमाणु परीक्षण करने के कारण भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज किया और 1972 में इसमें दक्षता प्राप्त कर ली। 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के पहले परमाणु परीक्षण के लिए हरी झंडी दे दी। इसके लिए स्थान चुना गया राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित छोटे से शहर पोखरण के निकट का रेगिस्तान और इस अभियान का नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा (Smiling Buddha)। इस नाम को चुने जाने के पीछे यह स्पष्ट दृष्टि थी कि यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है।

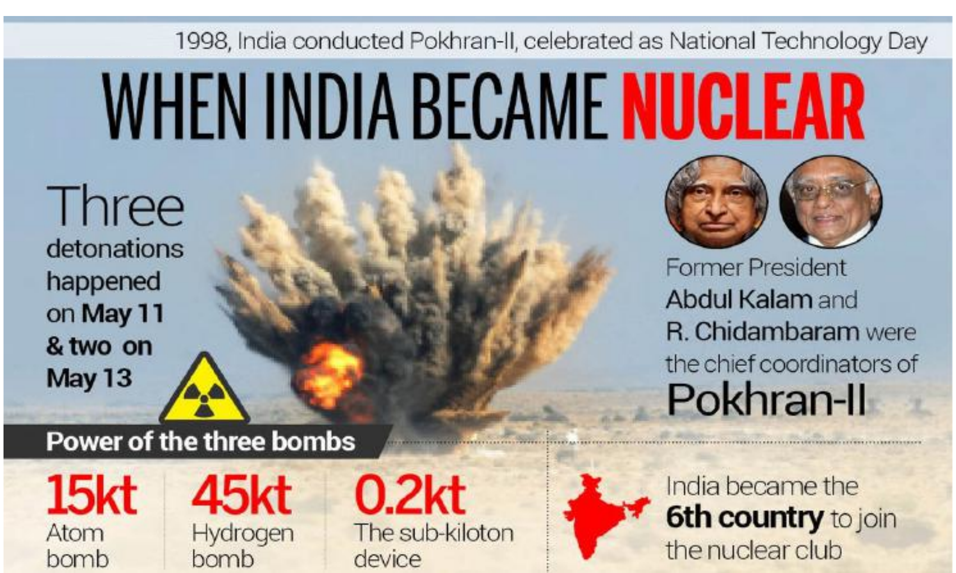

18 मई 1974 को यह परीक्षण हुआ। परीक्षण से पूरी दुनिया चौंक उठी, क्योंकि सुरक्षा परिषद में बैठी दुनिया की पाँच महाशक्तियों से इतर भारत परमाणु शक्ति संपन्न बनने वाला पहला देश बन चुका था।

पोखरण-2

भारत ने 11 मई 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण परीक्षण रेंज में पांच परीक्षणों में से पहला परीक्षण किया था। अचानक किए गए इन परमाणु परीक्षणों से अमेरिका, पाकिस्तान समेत कई देश दंग रह गए थे।

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की अगुआई में यह मिशन बहुत ही रहस्यमयी तरीके से किया गया था। इस मिशन की जरा सी भी जानकारी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों व सीआईए को नहीं लग पायी थी। यहाँ तक अमेरिकी सैटेलाइट भी इस घटना का पता लगाने में सक्षम नहीं हो पाए थे। इससे पूर्व वर्ष 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पहला परमाणु परीक्षण (पोखरण-1) कर दुनिया को भारत की ताकत का लोहा मनवाया था। इसे ऑपरेशन 'स्माइलिंग बुद्ध' नाम दिया गया था। पोखरण-2 का नाम ऑपरेशन 'शक्ति' रखा गया था।

प्रमुख तथ्य

11 मई 1998 को भारत ने पोखरण रेंज में 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसके बाद 13 मई को भी भारत ने 2 न्यूक्लियर टेस्ट किये जिसकी घोषणा खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने की। पोखरण परीक्षण रेंज पर 5 परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया, जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर ही नहीं किए थे।

प्रतिबंधों का सामना

इस परीक्षण के बाद भारत को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक तौर पर कई प्रतिबंधों का सामना भारत को करना पड़ा। भारत को एक प्रकार से अलग-थलग कर दिया गया था। उस वक्त भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस अलगाव की स्थिति से निपटना और अमेरिका-भारत की दूरियों को कम करना था। परमाणु परीक्षण के तुरंत बाद ही अमेरिका ने विदेश सचिव स्तर की

वार्ता को स्थगित कर दिया। अमेरिका ने 200 से अधिक भारतीय इकाइयों को प्रतिबंधित कर दिया इस लिस्ट में न केवल परमाणु ऊर्जा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और अंतरिक्ष विभाग की इकाइयाँ थीं, बल्कि प्राइवेट फर्मो का एक समूह भी शामिल था, जो उनके लिए काम करता था।

परमाणु परीक्षण की आवश्यकता क्यों थी?

90 के दशक में विश्व में सीटीबीटी अर्थात परमाणु अप्रसार संधि को लेकर चर्चाएं ज़ोरों पर थीं। देश के प्रमुख वैज्ञानिक अनिल काकोडकर के मुताबिक वह समय भारत के लिए फैसले की घड़ी थी। अगर भारत बिना परमाणु शक्ति संपन्न बने सीटीबीटी पर दस्तखत कर देता, तो फिर उसे परमाणु परीक्षण करने का मौका कभी नहीं मिलता। और अगर भारत दस्तखत करने से मना करता तो उससे पूछा जाता कि वह परमाणु हथियारों पर पाबंदी से मुंह क्यों छुपा रहा है? यानी भारत का परमाणु शक्ति बनने का वह रणनीतिक सपना कभी पूरा नहीं हो पाता, जिसे देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने आजादी से कहीं पहले 1944 में केवल देखा ही नहीं था, बल्कि इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी मना लिया था।

पिछले 20 वर्षों में क्या बदला

तकनीक और दूसरी तरह के प्रतिबंधों के मामले में भारत ने एक दशक के भीतर अपनी स्थिति सुधार ली। मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में अमेरिका के साथ हुए असैनिक परमाणु समझौते (123 समझौता) के बाद दुनिया के साथ भारत के परमाणु संबंध फिर से शुरू हो गए।

इसके बाद भारत ने कुछ रिएक्टरों को IAEA के तहत रखा और परमाणु व्यापार एवं तकनीक के साझेदार देशों के एलीट क्लब एनएसजी से छूट भी प्राप्त की। सितंबर 2008 में NSG से मिली राहत ने भारत पर तीन दशक से अधिक समय तक अमेरिका के नेतृत्व में लगे वैश्विक प्रतिबंध को हटाया जो 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर लगाया गया था। इसके बाद भारत को सिविलियन न्यूक्लियर तकनीक के लिए व्यापार का अधिकार भी मिल गया।

सरकार ने जून 2017 में 9000 मेगावाट क्षमता वाले 12 और रिएक्टरों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी दे दी जोकि 2031 तक पूरा होने की उम्मीद है। साल 2031 तक 'भाविनि' (भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड) द्वारा लागू की गई नीति के बाद न्यूक्लियर पावर क्षमता 22480 मेगावाट तक पहुंच जाएगी।

भारत जापान न्यूक्लियर समझौता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष शिंजो अबे के बीच वार्ता के बाद भारत और जापान ने असैन्य परमाणु ऊर्जा को लेकर एक ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर किए थे। इस करार से जापान भारत में परमाणु तकनीक का निर्यात कर सकेगा।

इसके साथ ही भारत टोक्यो के साथ ऐसा करार करने वाला पहला देश बन गया था जिसने एनपीटी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। यह करार द्विपक्षीय आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को भी मजबूती प्रदान करने वाला था।

भारत की परमाणु नीति

भारत ने 2003 में अपनी परमाणु नीति बनायी थी। भारत की परमाणु नीति की विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

1. भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत "पहले उपयोग नहीं" है। इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता।
2. भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सशक्त रखेगा कि दुश्मन के मन में भय बना रहे।
3. यदि किसी देश ने भारत पर परमाणु हमला किया तो उसका प्रतिशोध इतना भयानक होगा कि दुश्मन को अपूर्णीय क्षति हो और वह जल्दी इस हमले से उबर ना सके।
4. दुश्मन के खिलाफ परमाणु हमले की कार्यवाही करने के अधिकार सिर्फ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों अर्थात देश के राजनीतिक नेतृत्व को ही होगा हालाँकि परमाणु कमांड अथॉरिटी का सहयोग जरूरी होगा।
5. जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है उनके खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।
6. यदि भारत के खिलाफ या भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई रासायनिक या जैविक हमला होता है तो भारत इसके जवाब में परमाणु हमले का विकल्प खुला रखेगा।
7. परमाणु एवं प्रक्षेपात्र सम्बन्धी सामग्री तथा प्रौद्योगिकी के निर्यात पर कड़ा नियंत्रण जारी रहेगा तथा परमाणु परीक्षणों पर रोक जारी रहेगी।
8. भारत परमाणु मुक्त विश्व बनाने की वैश्विक पहल का समर्थन करता रहेगा तथा भेदभाव मुक्त परमाणु निःशस्त्रीकरण के विचार को आगे बढ़ाएगा।

न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत एक राजनीतिक परिषद् तथा एक कार्यकारी परिषद् होती है। राजनीतिक परिषद् के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जबकि कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) होते हैं। NSA न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को निर्णय लेने के लिए जरूरी सूचनाएँ उपलब्ध कराते हैं तथा राजनीतिक परिषद् द्वारा किये गए निर्देशों का क्रियान्वयन करते हैं।

यह सच है कि भारत में परमाणु हमला करने का निर्णय सिर्फ प्रधानमंत्री के पास होता है। हालाँकि प्रधानमंत्री अकेले निर्णय नहीं ले सकता है। प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड जरूर होता है जिसके बिना परमाणु बम को नहीं छोड़ा जा सकता है। परमाणु बम को दागने का असली बटन तो परमाणु कमांड की सबसे निचली कड़ी या टीम के पास होता है जिसे परमाणु मिसाइल दागनी होती है।

प्रधानमंत्री निम्न लोगों से राय लेकर ही हमले का निर्णय ले सकता है:

1. सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी
2. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
3. चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी

इस प्रकार ऊपर लिखे गए बिंदुओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत का परमाणु कार्यक्रम किसी देश को धमकाने या उस पर हमला करके कब्जा करने के लिए नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिये है।

आगे की राह

भारत आज अपने दम पर मिसाइल रक्षा कवच विकसित करने में सफल हो गया है। भारत को विश्वशक्ति बनने के लिए दूसरों से श्रेष्ठ हथियार प्रौद्योगिकी विकसित करनी होगी। अगर सकारात्मक सोच और ठोस रणनीति के साथ हम लगातार अपनी प्रौद्योगिकी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएँ तो हम शीघ्र ही आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अगर हम एक विकसित देश बनने की इच्छा रखते हैं तो आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें दूरगामी रणनीति बनानी पड़ेगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।

■

3. वर्तमान में बढ़ते कैदी बनाम जेलों की निहित क्षमता

चर्चा का कारण

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने देश भर में जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के होने पर चिंता जताते हुए कहा है कि सभी उच्च न्यायालय इस मामले पर विचार करें क्योंकि इससे 'मानवाधिकारों का उल्लंघन' हो रहा है। शीर्ष अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया कि वे मामले को स्वत: रिट याचिका के तौर पर लें।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा, "न्याय मित्र की ओर से दिए गए नोट से प्रतीत होता है कि जेल अधिकारी जेलों के क्षमता से अधिक भरे होने के मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस तरह की कई जेलें हैं जो क्षमता से 100 फीसदी तथा कुछ मामलों में तो यह 150 प्रतिशत से अधिक भरी हैं।" पीठ ने कहा, "हमारे विचार में, इस मामले पर प्रत्येक उच्च न्यायालय को राज्य विधि सेवा प्राधिकरण/उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति की मदद से स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए ताकि जेलों के क्षमता से अधिक भरे होने की समस्या से निपटा जा सके। यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला है।"

पृष्ठभूमि

संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत जेलों का रखरखाव और प्रबंधन पूरी तरह से राज्य सरकारों का विषय है। हर राज्य में जेल प्रशासन तंत्र चीफ ऑफ प्रिजन्स (कारागार प्रमुख) की देखरेख में काम करता है जो वरिष्ठ रैंक का आइपीएस अधिकारी होता है। जेलों की देखरेख जेलों को प्रिजंस एक्ट 1894 और संबंधित राज्य सरकारों के प्रिजन मैनुअल द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जेल कानूनों, नियमों और विनियमों को परिवर्तित करने के संदर्भ में प्राथमिक भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार राज्य सरकारों के पास है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा भी समय-समय पर जेलों के आधुनिकीकरण के लिये विभिन्न समितियों की स्थापना की गई है।

भारत के संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 21 में कैदियों को जीवन और स्वतंत्रता के उनके मूल अधिकार के एक भाग के रूप में निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार प्रदान किया गया है और इस बात को 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में ज़ोर देकर कहा। कानून के

नज़र में देश के सभी नागरिक बराबर हैं लेकिन जेलों में बंद कैदियों पर नज़र डालें तो व्यवहार और सिद्धांत में ज़मीन-आसमान का फर्क दिखता है। स्वतंत्रता के बाद से ही कैदियों की चली आ रही समस्याएं दिन प्रति दिन और बढ़ती जा रही हैं। अत्यधिक संख्या में जेलों में बेद कैदी अपने रिहाई की बाट जोह रहे हैं लेकिन सरकारी स्तर पर सुस्त कार्रवाई इनको जेलों में रहने के लिए मजबूर कर देती है।

वर्तमान स्थिति

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2015 रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की कई जेलें, कैदियों की संख्या के लिहाज से छोटी पड़ रही हैं। भारतीय जेलों में क्षमता से औसतन 114 फीसदी ज्यादा कैदी रह रहे हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ (233%) और दिल्ली (226%) देश में सबसे आगे हैं, जहां की जेलों में क्षमता से दोगुने से ज्यादा कैदी हैं।मेघालय की जेलों में क्षमता से 77.9 प्रतिशत ज्यादा, उत्तर प्रदेश में 68.8 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 39.8 प्रतिशत ज्यादा कैदी हैं। शुद्ध संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश में विचाराधीन कैदियों की संख्या सबसे ज्यादा (62,669) है। इसके बाद बिहार (23,424) और महाराष्ट्र (21,667) का स्थान है। 2015 के इन आँकड़ों के मुकाबले 2016, 2017 और 2018 में कैदियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जबकि जेलों की संख्या लगभग स्थिर है।

भारतीय जेलों में बंद 67 फीसदी लोग विचाराधीन कैदी हैं। यानी वैसे कैदी, जिन्हें मुकदमे, जांच या पूछताछ के दौरान हवालात में बंद रखा गया है, न कि कोर्ट द्वारा किसी मुकदमे में दोषी करार दिए जाने की वजह से। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से भारत की जेलों में ट्रायल या सजा का इंतजार कर रहे लोगों का प्रतिशत काफी ज्यादा है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में यह 11% है, अमेरिका में 20% और फ्रांस में 29% है।

2014 में देश के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 16 में 25 प्रतिशत से ज्यादा विचाराधीन कैदी एक साल से ज्यादा वक्त से हवालात में बंद थे। जम्मू-कश्मीर 54% के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद गोवा (50%) और गुजरात (42%) का स्थान है। शुद्ध आंकड़ों के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है जहां विचाराधीन कैदियों की संख्या सबसे ज्यादा (18,214) है। देश की विभिन्न अदालतों में 31 मार्च, 2016 तक लंबित पड़े मामलों की संख्या 3.1 करोड़ थी, जिसे किसी भी लिहाज से बहुत बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। ऐसे में यह मान कर चला जा सकता है कि किसी प्रभावशाली हस्तक्षेप की गैर-मौजूदगी में भारत की जेलें इसी तरह भरी रहेंगी। 2014 के अंत तक कुल विचाराधीन कैदियों में से 43 फीसदी, यानी करीब 1.22 लाख लोग छह महीने से लेकर पांच साल से ज्यादा वक्त तक विभिन्न हवालातों में बंद थे। इनमें से कइयों ने जेल में इतना समय बिता लिया है जितना उन्हें दोषी होने की वास्तविक सजा के तौर पर भी नहीं बिताना पड़ता।

अगर भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की बात करें, तो विचाराधीन कैदियों को उनके दोषी सिद्ध होने से पहले तक निर्दोष माना जाता है। लेकिन जेल में बंद किए जाने के दौरान उन्हें अक्सर मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं और लगभग अमानवीय-सी जीवन स्थितियों और जेल में होनेवाली हिंसा का सामना करना पड़ता है। इनमें से कई अपने पारिवारिक, आस-पड़ोस और समुदाय के रिश्तों के साथ-साथ प्राय: अपनी आजीविका भी गंवा देते हैं। इससे भी ज्यादा बड़ी बात ये है कि जेल में बिताया गया समय उनके माथे पर एक व्यक्तिगत इकाई के तौर पर ही नहीं, समुदाय के सदस्य के तौर पर भी सामाजिक कलंक लगा देता है। यहां तक कि उनके परिवार, सगे-संबंधियों और समुदाय को भी उनकी बिना किसी गलती के शर्मिंदगी और अपमान झेलना पड़ता है। विचाराधीन कैदियों की कानूनी प्रतिनिधियों तक पहुंच काफी कम होती है। कई विचाराधीन कैदी काफी गरीब हैं, जो मामूली अपराधों के आरोपी हैं। अपने अधिकारों की जानकारी न होने और कानूनी सहायता तक पहुंच नहीं होने के कारण उन्हें लंबे समय तक जेलों में बंद रहना पड़ रहा है।

वित्तीय संसाधनों और मजबूत सपोर्ट सिस्टम के अभाव और जेल परिसर में वकीलों से संवाद

करने की ज्यादा क्षमता न होने के कारण कानून की अदालत में अपना बचाव करने की उनकी शक्ति कम हो जाती है। यह स्थिति सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बावजूद है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह हिदायत दी थी कि संविधान का अनुच्छेद 21 बंदियों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तहत निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार देता है। अपराध प्रक्रिया संहित (सीआरपीसी) के 2005 से प्रभाव में आने वाले अनुच्छेद 436-क के प्रावधानों के बावजूद विचाराधीन कैदियों को अक्सर अपने जीवन के कई साल सलाखों के पीछे गुजारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस अनुच्छेद के मुताबिक अगर किसी विचाराधीन कैदी को उस पर लगे आरोपों के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की सजा के आधे समय के लिए जेल में बंद रखा जा चुका है, तो उसे प्रतिभूओं सहित या रहित निजी मुचलके पर रिहा किया जा सकता है। यह अनुच्छेद उन आरोपियों पर लागू नहीं होता, जिन्हें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है।

2015 में हर रोज औसतन 4 कैदियों की मौत हुई एवं कुल मिलाकर 1,584 कैदियों की जेल में मृत्यु हो गई। इनमें 1,469 मौतें स्वाभाविक थीं, जबकि बाकी मौतों के पीछे अस्वाभाविक कारणों का हाथ माना गया। अस्वाभाविक मौतों में दो तिहाई (77) आत्महत्या के मामले थे, जबकि 11 की हत्याएं साथी कैदियों द्वारा कर दी गई। इनमें से 9 दिल्ली की जेलों में थे। 2001 से 2010 के बीच 12,727 लोगों की जेलों के भीतर मौत होने की जानकारी है। अगर कोई पेशेवर सरगना या कोई सफेदपोश अपराधी जेल के अधिकारियों की जेब गरम करने को तैयार है, तो वह जेल परिसर के भीतर मोबाइल फोन, शराब और हथियार तक रख सकता है। जबकि, दूसरी तरफ सामाजिक-आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए विचाराधीन कैदियों को सरकारी तंत्र द्वारा उनकी बुनियादी गरिमा से भी वंचित रखने के मामले देखने को मिलते हैं। मजबूत व्हिसिल ब्लोवर प्रोटेक्शन एक्ट की गैर-मौजूदगी और जेलों पर जरूरत से ज्यादा बोझ और अपर्याप्त कर्मचारियों के चलते भारतीय जेलें राजनीतिक रसूख वाले अपराधियों के लिए एक आरामगाह और सामाजिक-आर्थिक तौर पर कमज़ोर विचाराधीन कैदियों के लिए नरक के समान बन गया है।

जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण

1. जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण न्यायालयों में लंबित पड़े मामले हैं।
2. जिस अनुपात में देश के अंदर कैदी हैं उस अनुपात में जेलों की संख्या नहीं है।
3. अदालतों का कम होना तथा न्यायाधीशों का आदलतों के अनुपात में और कम होना भी एक बड़ा कारण है। कम अदालतों और न्यायाधीशों के कारण सही समय पर सुनवाई नहीं हो पाती है जिससे कि न्याय नहीं मिल पाता है और कैदी विचारधीन पड़े रहते हैं।
4. जिला न्यायालयों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है जिससे कि मुकदमों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। परिणामस्वरूप वैसे कैदी जेलों में बंद है जो बेकसूर हैं या फिर जिन्हें सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है।
5. ग्राम न्यायालय जैसी संस्थायें सही व सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही हैं जिससे कि छोटे-छोटे मामलों को निपटाया जा सकता है।
6. सरकार के स्तर पर भी त्वरित निर्णय का अभाव दिखता है जिसका प्रभाव जेलों में बंद कैदियों पर पड़ता है।
7. ऐसे लोग भी हैं जिनकी वास्तविक सजा 2 साल की है लेकिन निर्णय के अभाव में 10-10 साल तक जेलों में बंद पड़े हैं।

सरकारी पहल

अदालतों में लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या और इनके निपटारे में हो रहे विलंब से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए न्यायपालिका में सुधार के लिए सतत प्रयास हो रहे हैं। अदालतों में लंबित मुकदमों का तेजी से निपटारा करने के लिए विशेष अथियान भी चलाये जा रहे हैं। लंबित मुकदमों का बोझ कम करने की दिशा में किए जा रहे न्यायिक सुधारों की कड़ी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने जेलों में रात्रि अदालतें लगाने का सुझाव दिया था। यह सुझाव बेहद महत्वपूर्ण है।

अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के प्रयासों के अंतर्गत ही देश में करीब 20 साल पहले लोक अदालतों की स्थापना हुई। इसके बाद देश के कुछ राज्यों में प्रात: कालीन और सांध्य अदालतों की स्थापना के साथ ही पालियों में अदालतों का काम करने का अभिनव प्रयोग किया गया जो काफी सफल रहा। यही नहीं, इस दौरान आपराधिक मामलों का निपटारा तेजी से करने के इरादे से केंद्रीय सहायता के साथ विभिन्न राज्यों में त्वरित अदालतों की भी स्थापना हुई थी। इन अदालतों ने बड़ी संख्या में आपराधिक मामलों का निपटारा भी किया।

सरकार ने गांवों में जमीन विवाद और खेत-खलिहान तथा घरों की चैहद्दी को लेकर होने वाले मुकदमों का गांव में ही निपटारा कराने के लिए ग्रामीण अदालतों के गठन का प्रावधान किया। ग्राम न्यायालयों की स्थापना का उद्देश्य था कि किसानों को अपने विवादों के निपटारे के लिए बाहर या कस्बे की अदालत तक न जाना पड़े।

जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या कम करने के इरादे से जनवरी, 2010 में तत्कालीन विधि एवं न्याय मंत्री श्री वीरप्पा मोइली ने मिशन अंडर ट्रायल शुरू किया था। इस अभियान के तहत दो लाख से भी अधिक विचाराधीन कैदियों की रिहाई हो चुकी है। इनमें से अधिकांश कैदी छोटे-मोटे अपराधो के आरोप में सालों से जेल में बंद थे और अधिकतम सजा से भी ज्यादा समय जेल में गुजार चुके थे। जेल में ऐसे कैदी भी थे जो जमानत मिलने के बाद जमानती की व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण रिहा नहीं हो सके थे।

इसी तरह नागरिकों, विशेषकर ग्रामीणों को उनके द्वार पर ही त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए बने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 को 2 अक्टूबर, 2009 से लागू करने की अधिसूचना जारी हुई। इस योजना के अंतर्गत 31 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक में लगभग 451 ग्राम न्यायालयों ने काम करना भी शुरू कर दिया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2015 से जून 2016 तक 28,12,566 दीवानी एवं आपराधिक मामले देश भर की जिला अदालतों में लंबित हैं। इनमें से 18,94,222 मामलों का निपटारा इस अवधि में किया गया है।

केंद्र सरकार ने वर्तमान में महिला कैदियों और उनके बच्चों पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के जरिए एक अध्ययन करा रही है जो 30 जून तक पूरा हो जाएगा। अध्ययन के बाद इस क्षेत्र में जरूरी और ठोस कदम उठाये जाएंगे।

सरकार खुली जेल का अत्यधिक विस्तार कर रही है जिससे कि कैदियों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।

गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2016 तक लगभग 219 नये जेल और 1572 बैरकों का निर्माण किया गया जिसमें इस योजना के आवंटित धनराशि में से तकरीबन 98% का इस्तेमाल किया गया है।

आगे की राह

1. फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की स्थापना अत्यधिक संख्या में किया जाये।
2. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खुली जेल की स्थापना किया जाय और इनकों सुचारू रूप से संचालित किया जाय।
3. सीआरपीसी की धारा '436 ए' का सही तरीके से पालन किया जाए जो किसी कैदी को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि का निर्धारण करता है।
4. न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिये एक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया जाए।
5. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा सीआरपीसी मापदंडों के तहत याचिका सौदेबाजी का प्रचार करना चाहिए।
6. ई-कोर्ट अथवा ई-अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
7. न्याय पंचायत और लघु न्यायालय का विकास।
8. देश के अंदर कैदियों की संख्या को देखते हुए जेलों का और अधिक विकास किया जाना चाहिए। इसके अलावा उसमें मूलभूत सुविधाओं पर पर्याप्त ध्यान देना होगा।
9. न्यायाधीशों को इमानदारी पूर्वक कार्य करते हुए अधिक से अधिक मुकदमों को निपटाना होगा। इसके साथ ही पूर्व न्यायाधीशों को भी न्यायालय के कार्य से जोड़ा जाना चाहिए यदि वे इच्छुक हों।
10. न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाना होगा जिससे कि लंबित मुकदमों की त्वरित सुनवाई हो सके।
11. सरकार के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के सही संचालन में आने वाली चुनौतियाँ जिसमें की पैसे की कमी भी है, को दूर करना चाहिए।
12. विचाराधीन बंदियों के मामलों की सुनवाई जेल में बनी रात्रि अदालत में की जा सकती है। ऐसे मामलों की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेटों को कुछ मानद राशि दी जा सकती है। यह रणनीति अपनाने से जेलों में बंदियों की संख्या में अपेक्षित कमी लाना संभव होगा। जेल में ही मुकदमों का निपटारा होने से अदालतों में लंबित मुकदमों का बोझ भी कम होगा। जेल अदालतों में मुकदमों के निपटारे से जेलों में कैदियों की संख्या घटने की स्थिति में इन बंदियों पर होने वाले खर्च में भी कमी लाई जा सकेगी।

निष्कर्ष

सरकार और तमाम समितियों द्वारा दिए गए आकड़ों से यह बात सिद्ध हो जाती है कि भारतीय जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखा गया है। यह सरकार और न्यायपालिका के लिए एक गंभीर विषय है। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना चाहिए और त्वरित निर्णय लिया जाना चाहिए जिससे कि नागरिकों के जीवन से संबंधित अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके और जेलों में बंद कैदी की समस्या को सुलझाया जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

4. उपचार की आस लगाए भारतीय धमनियाँ

संदर्भ

वर्तमान समय में रेलवे अपनी अनेक समस्याओं से ग्रसित है। जैसे- रेलवे की लेटलतीफी, बुनियादी सुविधाओं (जैसे- पीने का पानी, बिजली आदि) का अभाव, अच्छी कैटरिंग की व्यवस्था का अभाव, स्वच्छता की समस्या, रेलवे का परंपरागत व्यवसायिक तरीका, यात्रियों की सुरक्षा, अपर्याप्त बजट, निवेश की कमी, भ्रष्टाचार, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कमी आदि। बढ़ते ट्रेन हादसों ने तो रेलवे की विश्वसनियता पर ही सवाल खड़े कर दिये हैं, उदाहरण के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मानव रहित रेलवे क्रासिंग पर बच्चों को स्कूल ले जा रही वैन ट्रेन से टकरा गई। इस हादसे में 13 बच्चों की मौत हो गई। गत वर्ष जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी समकक्ष शिंजो आबे ने 1,10,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन की नींव रखी उसी समय जम्मू तवी-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटना ग्रस्त हो गई। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने रेल बजट को आम बजट में शामिल कर रेलवे को नई दिशा देने का कार्य किया लेकिन रेलवे की स्थिति सुधरने के बजाए और दयनीय हो गई है।

पृष्ठभूमि

भारत में रेलवे की शुरूआत 22 दिसंबर 1851 को रूड़की में हुई। यह ट्रेन एक मालगाड़ी थी। इसके बाद 16 अप्रैल, 1853 को पहली यात्री ट्रेन मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी जिसने कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की। इस छोटे से सफर ने भारतीय रेलवे के लंबे सफर की नींव रखी। वर्तमान समय में भारत का रेल नेटवर्क विश्व के बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। 66,000 किमी के रेल नेटवर्क पर देश में रोजाना लगभग 22 हजार ट्रेनों का संचालन किया जाता है। भारतीय रेलवे विश्व का 9वाँ सबसे बड़ा नियोक्ता है इसमें लगभग 15 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। आज भारतीय रेलवे अपनी वर्तमान क्षमता से 15 गुना अधिक यात्रीयों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुँचाती है।

अन्य देशों से तुलना

देश की जीवन रेखा कही जाने वाली भारतीय रेल पर भारी-भरकम योजनाओं के आर्थिक बोझ के कारण ट्रेनों व मालगाड़ियों के संचालन की रफ्तार थम सी गई है। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। दूसरे देशों की तुलना में भारतीय रेलवे की सर्विस की स्थिति काफी दयनीय है। यूरोप में अति आधुनिक तकनीकी जिसमें, सैटेलाइट, ग्राउंड बेस्ड इन्स्टॉलेशन और कंप्यूटर की मदद से हर ट्रेन की स्थिति तथा हर ट्रैक की मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। जबकि भारत में ये व्यवस्था नहीं है। चीन जहाँ रेलवे पर अपनी जीडीपी का 2 प्रतिशत से अधिक खर्च करता है वहीं भारत अपनी जीडीपी का मात्र 0.4 प्रतिशत ही खर्च करता है। चीन में चलने वाली रेलगाड़ियाँ गति के मामले में काफी आगे हैं। चीन में लगभग 350-400 किमी/घण्टे की रफ्तार से ट्रेने दौड़ती हैं वहीं भारत में ट्रेनों की अधिकतम गति 160 किमी./घण्टे की है। हाल ही में चीन ने

बिना ड्राइवर के ट्रेन सफलतापूर्वक चलाकर विश्व को चौंका दिया है।

भारतीय रेलवे की समस्याएँ

- राजनैतिक लाभ लेने के कारण यात्रियों को यात्रा सब्सिडी दी जाती है जिससे रेलवे पर वित्तीय बोझ लगातार बढ़ रहा है।
- उच्च श्रेणी के यात्रियों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। छोटी दूरी के लिए ये यात्री अपनी प्राइवेट गाड़ियों का उपयोग करते हैं और लंबी दूरी के लिए वे फ्लाइट का सहारा ले रहे हैं इससे रेलवे को हानि उठानी पड़ रही है क्योंकि रेलवे की कुल यात्रा किराया का एक-तिहाई राजस्व वातानुकूलित सेवा लेने वाले यात्रियों से प्राप्त होता है।
- भारत में माल ढुलाई का 50 प्रतिशत हिस्सा सड़क परिवहन के ऊपर निर्भर है जबकि चीन में यह अनुपात 30 प्रतिशत है। साथ ही माल ढुलाई में सड़कों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। इससे रेलवे का घाटा लगातार बढ़ रहा है।
- माल भाड़ा रेलवे के राजस्व में दो तिहाई योगदान करता है। इसके बावजूद अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी के कारण मालगाड़ियों का औसत गति काफी कम है।
- क्षेत्रीय वायु संपर्क योजना, उड़ान ने रेलवे के संचालन लागत को बढ़ा दिया है। क्योंकि उच्च वर्ग के यात्रियों को लेकर दोनों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा हुई है।
- धन की कमी: चीन में रेलवे पर वार्षिक व्यय जहाँ 100 से 120 बिलियन डॉलर होता है वहीं भारत में इस वर्ष रेलवे पर कुल खर्च 21.76 बिलियन डॉलर के बराबर है। उसमें भी 80 प्रतिशत बजट मजदूरी व वेतन में चला जाता है। जो यह दर्शाता है कि चीन की तुलना में भारत का रेल बजट कितना कम है।
- निम्न स्तर पर कर्मचारियों (ट्रैक मैन, लाइन मैन, टैकनीशियन) की व्यापक कमी है।
- लालफीताशाही का चलन जिसमें न तो पारदर्शिता है न ही जवाबदेही है।
- आज रेलवे बुनियादी मुद्दों से भटक गई है जैसे- सुरक्षा, संचालन, आदि। अब लोक लुभावन योजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है जैसे- वाई-फाई, कैटेरिंग, बुलेट ट्रेन आदि।
- हाल ही में गोरखपुर में मानव रहित ट्रेन हादसा, नागपुर-मुम्बई दूरंतों एक्सप्रेस हादसा, कलिंग-उत्कल एक्सप्रेस का पटरी से उतरना, कैफियत एक्सप्रेस हादसा आदि ने भारतीय रेल की क्षमता पर प्रश्नचिन्ह उठाया है। हर साल बड़े तथा छोटे हादसे हो रहे हैं और आम लोग बली का बकरा बन रहे हैं। रेलवे आज जिन समस्याओं का सामना कर रही है उसका सबसे पहले हल निकालने की जरूरत है। उसके बाद ही बुलेट ट्रेन के संचालन के बारे में सोचना चाहिए।

विभिन्न समितियों की रिपोर्ट

सरकार ने रेलवे की समस्या को दुरूस्त करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है। जिनमें डा. अनिल काकोदकर और बिबेक देब राय समितियाँ महत्वपूर्ण हैं। जिन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं।

विवेक देबराय समिति की मुख्य सिफारिशें

- इस समिति ने सुझाव दिया कि भारत सरकार और रेलवे संगठनों के बीच जिम्मेदारी का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए साथ ही एक राजनीति से स्वतंत्र अलग शुल्क नियमन की आवश्यकता है जिससे कि रेलवे को राजनीति से दूर किया जा सके।
- रेलवे की भर्तियाँ रेलवे बोर्ड द्वारा होनी चाहिए न कि अन्य बोर्डों (जैसे-यूपीएससी, एसएससी) द्वारा।
- रेलवे के संचालन प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण होना चाहिए जिससे इसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके।
- रेलवे में बढ़ती सब्सिडी को कम किया जाना चाहिए जिससे कि माल भाड़ा व पैसेन्जर किराये में संतुलन कायम किया जा सके।
- ऑनलाइन खरीद प्रणाली और ऑन लाइन नीलामी प्रणाली अपनाई जाये जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

अनिल काकोदकर समिति

- काकोदकर समिति ने जनरल सेफ्टी मामलों में संगठन के स्तर पर बदलाव का सुझाव दिया।
- अनिल काकोदकर ने रेलवे के सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को अत्याधुनिक बनाये जाने की जरूतर पर जोर दिया।
- काकोदकर समिति ने रेलवे को सुझाया कि सुरक्षा के मामले में वह अपने स्टाफ को पूरी तरीके से प्रशिक्षित करें जिससे लोगों में सेफ्टी और सिक्यूरिटी को लेकर जागरूकता बढ़े।
- 5 वर्षों के अंदर सभी मानवरहित और मानव सहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म किया जाए।
- देशभर में रेलवे के सभी पुरानी तकनीक के डिब्बों को बदलकर 'एलएचबी' टाइप के सुरक्षित डिब्बों में तब्दील किये जाने की जरूरत है।
- रेलवे के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से एडवांस सिग्नल व्यवस्था के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने का सुझाव दिया। यह सिग्नल सिस्टम 19,000 किमी. के ट्रैक रूट पर लगाया जाना था।
- रेलवे पुलों व ट्रैकों की लगातार देखरेख होना चाहिए।

सरकारी पहल

रेलवे के विकास के क्षेत्र में सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं-

- रेलवे बजट जो आम बजट से अलग पेश हुआ करता था को सरकार ने आम बजट में ही सम्मिलित कर लिया है जिससे सरकार रेलवे के विकास में अधिक योगदान दे सके साथ ही इसमें पारदर्शिता लाई जा सके।
- सरकार द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरूआत की गई है जिससे रेलवे में जाम की समस्या (जैसे- सिंग्नल न मिलना, आउटर पर खड़े रहना या स्टेशन अभी खाली नहीं है) से निजात मिलेगी। सवारी गाड़ी के साथ-साथ मालवाहक ट्रेनों में नियमितता आयेगी क्योंकि इस योजना के तहत बनायी जा रही ट्रैक पर केवल माल गाड़ी ही चलायी जायेंगी।
- देश भर में रेलवे आपूर्ति श्रृंखला का डिजिटलीकरण, रेलवे से संबंधित प्रोजेक्टों के लिए ई-आक्शन व ई-प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है जिससे जवाबदेही, पारदर्शिता व क्षमता में सुधार हो रहा है।
- मिशन 41K के द्वारा अगले 10 सालों में ऊर्जा दक्षता में सुधार के द्वारा लगभग 41 हजार करोड़ रु. बचाने का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
- अगले पांच सालों में लगभग 90% रेलमार्गों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा (वर्तमान में 70% रेलमार्ग विद्युतीकृत है।)
- मिशन रफ्तार के द्वारा तेज गति की ट्रेने (तेजस, हमसफर, अंत्योदय एक्सप्रेस, उदय) चलाई जा रही हैं। 400 मुख्य रेलवे स्टेशनों के रख-रखाव व सुंदरीकरण के लिए प्राइवेट कंपनियों से सहयोग लिया जा रहा है।
- सीमेंट, स्टील, लॉजिस्टिक्स, उर्वरक आदि उद्योगों से संबंधित बड़ी-बड़ी प्राइवेट कंपनियों

को अपने टर्मिनलों से मालगाड़ी संचालन की सुविधा दिए जाने की योजना बनाई गई है जिससे कच्चे माल का संचालन तीव्रता से हो सके।

- रेलवे के अवसंरचनात्मक विकास के लिए सरकार द्वारा 8.7 लाख करोड़ रुपेय निवेश किये जाने की योजना है। इसके लिए धन विश्व बैंक, एलआईसी व अन्य निजी क्षेत्रों से लिया जाएगा।

रेल बजट 2018-19

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने संसद में आम बजट के साथ रेल बजट 2018 को पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2018-19 के लिए रेलवे के पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 1,48,528 करोड़ किया गया है। इसका बड़ा हिस्सा रेलवे की क्षमता सृजन पर खर्च किया जाएगा।

- 18000 किलोमीटर के दोहरीकरण, तीसरी/चौथी लाइन के निर्माण कार्य और 5000 किलोमीटर के गेज परिवर्तन से क्षमता में वृद्धि होगी।
- 2017-18 के दौरान विद्युतिकरण के लिए लंबित 4000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क चालू हो जाएगा।
- 12000 वैगन, 5160 कोच और लगभग 700 लोकोमोटिव की खरीदारी की जाएगी।
- पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कोरिडोर के काम तेजी से पूरे किए जाएंगे।
- माल शेडों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने और निजी साइडिंग के फास्ट ट्रैक कार्य शुरू करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- फॉग सेफ (कोहरे से बचाव) और ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम जैसी तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा।
- अगले दो सालों में 4267 मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म कर उन्हें बिजली नेटवर्क में परिवर्तित किया जाएगा।
- इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को दोबारा विकसित करने का काम शुरू किया जाएगा।
- जिस स्टेशन पर 25 हजार से ज्यादा यात्री आते हैं, वहां एस्केलेटर लगाए जाएंगे तथा सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में वाई-फाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
- मुंबई की परिवहन प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है और 11 हजार करोड़ रुपये की लागत से 90 किलोमीटर दोहरी पटरियां जोड़ी जा रही हैं।
- लगभग 40,000 करोड़ रुपये की लागत से 150 किलोमीटर अतिरिक्त उपनगरीय नेटवर्क योजना बनाई जा रही है।
- बेंगलुरु में महानगरीय विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए 17,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से करीब 160 किलोमीटर के उपनगरीय नेटवर्क की योजना बनाई जा रही है।
- हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए आवश्यक श्रमबल को प्रशिक्षित करने के लिए बड़ोदरा में एक संस्थान की स्थापना की जा रही है।

आगे की राह

अनिल काकोदर के अनुसार सरकार को एक लाख करोड़ खर्च करके बुलेट ट्रेन चलाने की बजाय डेढ़ लाख करोड़ खर्च करके रेलवे को सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है।

- रेलवे को अपनी दोषपूर्ण लाइनों को यथाशीघ्र ठीक करने की आवश्यकता है साथ ही डिब्बों में ऐसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाये जिससे होने वाले हादसों पर अंकुश लगाया जा सके।
- हाफमैन बुश कोच कि सुविधा देश की सभी ट्रेनों में होनी चाहिए। इसी तरह मेन्टेनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर भी सभी गाड़ियों में लगाए जाने की आवश्यकता है।
- भारत सरकार तथा रेलवे संगठनों के बीच जिम्मेदारी का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए जिसमें मंत्रालय की जिम्मेदारी रेलवे नीति निर्धारण की होनी चाहिए। साथ ही भारतीय रेलवे को संसदीय जवाबदेही तथा स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।
- उचित निर्णय लेने की प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए भारतीय रेलवे को दोहरी लेखा प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है।
- प्राइवेट कंपनी के किसी नए ऑपरेटर के लिए जो रेलवे में निवेश का इच्छुक हो उसके लिए नए प्रावधान की आवश्यकता है।
- भारतीय रेलवे नियामक प्राधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता है इसमें आर्थिक विनियमन की शक्तियाँ तथा उद्देश्य निहित होने चाहिए जिसके अंतर्गत टैरिफ विनियमन सुरक्षा विनियमन, सेवा विनियमन जैसे कार्य शामिल होने चाहिए।
- एक अपीलीय न्यायालय का गठन किया जाना चाहिए जिसमें रेलवे नियामक प्राधिकरण के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई होनी चाहिए।
- भारतीय रेलवे को ट्रेन में भोजन परोसने के लिए बड़े फूड चेन ग्रुप्स अथवा रेस्टोरेंट्स से अनुबंध करना चाहिए साथ ही इसे ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। इससे ग्राहक एक ही समय पर गुणवत्तायुक्त भोजन प्राप्त कर सकेंगे।
- निवेश बढ़ाने के लिए निवेश सलाह समिति बनायी जानी चाहिए जिसमें विशेषज्ञ, बैंकर्स, सेबी, एसबीआई, आरबीआई तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की आवश्यकता है।
- रेलवे में ग्रुप सी तथा ग्रुप डी स्तर के कर्मचारियों की यथाशीघ्र भर्ती किए जाने की आवश्यकता है।
- अन्य देशों की तुलना में रेलवे बजट बहुत कम है भारत को इसे अपने जीडीपी का कम-से-कम 2 प्रतिशत किये जाने की आवश्यकता है।
- रेलवे में आधुनिकीकरण के लिए विश्व के देशों के साथ तकनीकी समझौते कर उन्हें लागू करने की जरूरत है।
- रेलवे में सब्सिडी को समाप्त किये जाने की जरूरत है साथ ही इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।
- भारतीय रेलवे को सरकारी योजनाओं का संगम बनाने की आवश्यकता है जिसमें मेक इन इंडिया (एफडीआई), डिजिटल इंडिया (आईआरसीटीसी सुधार, ई-आरक्शन), स्वच्छ भारत मिशन (बायो टायलेट्स, खान-पान की स्वच्छता) आदि शामिल हो। इन योजनाओं को मिलाने से रेलवे का तीव्र विकास किया जा सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

■

5. डार्क नेटः इंटरनेट का श्याह पक्ष

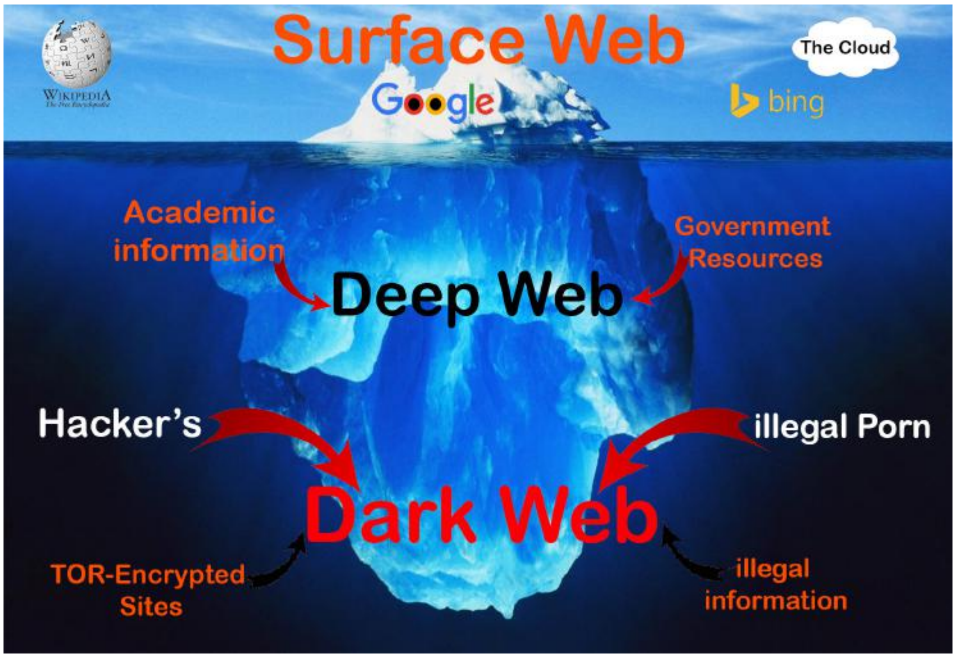

चर्चा का कारण

हाल ही में इंटरनेट की दुनिया में किए गए सर्वेक्षण से यह जानकारी सामने आई है कि आपके बैंक अकाउंट की राशि सुरक्षित नहीं है। डार्क वेब में बिक रहे क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए बगैर ओटीपी नंबर के भी आपके बैंक अकाउंट से ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए पैसे की चोरी हो सकती है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में देखने को मिला जिसमें खाताधारक के अकाउंट से 25 हजार रुपये की ऑनलाईन शॉपिंग हो गई। घटना का पता तब चला जब खाताधारक के मोबाइल पर मैसेज प्राप्त हुए। खाताधारक ने बैंक से संपर्क किया तो बैंक ने इसकी जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया। मामले की शिकायत स्टेट साइबर में की गई तब जाकर साइबर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

उल्लेखनीय है कि इंटरनेट पर डार्क वेब जोन होता हे। ये कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला इंटरनेट के पीछे का जोन होता है, जहां ऑनलाईन की जाने वाली खरीद, बिक्री, ट्रॉजेक्शन आदि की डिटेल को साइबर चोर हैक करते हैं। हैकर आपकी क्रेडिट, डेबिट कार्ड, पासवर्ड, बैंक डिटेल को हैक करके इसे डार्क जोन पर वेब करेंसी बिटक्वाईन में बेचते हैं।

डार्क इंटरनेट क्या है

इंटरनेट पर ऐसी कई वेब साइटे हैं जो आमतौर पर प्रयोग किये जाने वाले गूगल, याहू, बिंग जैसे सर्च इंजनों और सामान्य ब्राउजिंग के दायरे से परे होती है, इन्हें ही डार्कनेट या डीपनेट कहा जाता है। अगर इंटरनेट की बात की जाये तो हम गूगल, फेसबूक, यूट्यूब और इसके अलावा लाखों ऐसी वेबसाइट हैं जिन्हें हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि दुनिया भर के लोग इंटरनेट का जो हिस्सा इस्तेमाल करते हैं वह पूरे इंटरनेट का केवल 5 प्रतिशत ही है तो शायद कई लोग यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये सच है। हम साधारण तौर पर इंटरनेट का जो हिस्सा इस्तेमाल करते हैं या सीधे शब्दों में कहें तो हम इंटरनेट के जिस हिस्से तक पहुँच सकते हैं वह पब्लिक इंटरनेट है जिसे सर्फेस वेब भी कहते हैं। यह इंटरनेट की दुनिया का केवल 5 प्रतिशत ही है। इसके अलावा बाकी 95% इंटरनेट कौन प्रयोग करता है और वह कहां हैं इसके बारे में सामान्य लोगों को जानकारी नहीं है। इसे ही डार्क इंटरनेट कहा जाता है।

इंटरनेट को एक्सेस कर पाने के अनुसार इसे तीन भागों में बाँटा गया है-

1. सर्फेस वेब
2. डीप वेब
3. डार्क वेब

क्या है सर्फेस वेब

सर्फेस वेब इंटरनेट का वह भाग है जिसे हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं इसके लिये हमें किसी खास तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इन वेबपेज पर पहुँचने के लिये हम सर्च इंजन का सहारा लेते हैं। इसे दूसरे तरीके से देखें तो सर्फेस वेब को गूगल और बिंग जैसे सर्च इंजन इंडेक्स करते हैं और हमारे द्वारा कोई भी क्वेरी सर्च करने पर रिजल्ट के तौर पर दर्शाते हैं एवं ज्यादातर लोग इन्हीं सर्च इंजन का प्रयोग कर सर्फेस वेब की इन वेबसाइट पर पहुँचते हैं। लेकिन उन पेज को जो गूगल और बिंग जैसे सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करते हैं उसे ही डीप वेब और डार्क वेब कहते हैं।

क्या है डीप वेब

डीप वेब के अंतर्गत इंटरनेट के वे सभी वेब पेज आते हैं, जिन्हें सर्च इंजन में सर्च नहीं किया जा सकता है लेकिन ये लीगल होते हैं। डीप वेब को अदृश्य वेब के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो पेज आते हैं वह हैं ब्लॉग प्लेटफार्म, ड्राफ्ट पेज, साइंटिफिक रिसर्च, एकेडमिक और कॉर्पोरेट डाटाबेस, गवर्नमेंट पब्लिकेशन्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, ईमेल, डिरेक्टरी आदि।

उल्लेखनीय है कि कंप्यूटर विज्ञानी माइकेल बर्गमैन ने 2001 में डीप वेब शब्द का उल्लेख किया था। उनके अनुसार इसमें तमाम ऐसी सामग्री होती है जिनको प्राप्त करने के लिए यूजर्स को पैसा देना पड़ता है। 2001 में माइकेल बर्गमैन ने बताया कि इंटरनेट पर सर्फिंग समंदर की सतह पर जाल फैलाने के समान है यानि जाल में आयेगा तो बहुत कुछ लेकिन समंदर की गहराइयों वाली चीजें पकड़ में नहीं आएगी।

क्या है डार्क वेब

कुछ साल पहले तक डीप वेब और डार्क वेब को एक ही माना जाता था लेकिन गैर कानूनी गतिविधियों की वजह से इसे दो हिस्सों- डीप वेब और डार्क वेब में विभाजित कर दिया गया। डार्क वेब डीप वेब का ही हिस्सा है लेकिन इसका प्रयोग इंटरनेट पर गैर कानूनी काम करने के लिये किया जाता है जैसे ड्रग्स खरीदना व बेचना, किसी भी तरह का खतरनाक से खतरनाक हथियार खरीदना व बेचना, मानव तस्करी, डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराकर किसी को बेचना आदि। डार्क वेब पेज

पर आम तरीकों से नहीं पहुँचा जा सकता है। यहां पहुँचने के लिये लोग एक अलग ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे टॉर कहते हैं। TOR एन्क्रिप्शन टूल से डार्क वेब पेज को एनक्रिप्ट किया जाता है जिससे ये साइट छुप जाती हैं। सर्च इंजन इसे इंडेक्स नहीं कर पाते और यह सिर्फ टॉर ब्राउजर पर ही दिखती हैं।

2015 में नेचर मैग्जीन में एक शोध प्रकाशित हुआ था जिसमें कहा गया था कि गूगल पर सिर्फ 1 फीसदी ही सूचना मौजूद है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि डीप और डार्क वेब क्या है? यहाँ वो सारी सूचनाएं मिल जाती हैं जो गूगल कभी नहीं बताता। यहाँ तक कहा जाता है कि सरकारों के गोपनीय राज भी यहाँ दफन हैं। यहाँ हजारों साइट्स और लिंक्स मौजूद हैं। ये ऐसी साइट्स हैं जो इंटरनेट पर नहीं मिलेंगी।

क्या है TOR

TOR एक सॉफ्टवेयर है, जो यूजर्स की पहचान और इंटरनेट एक्टिविटी को खुफिया एजेंसियों की नज़रों से बचाता है। यानि इसके जरिए इंटरनेट एक्टिविटी को ट्रेस नहीं किया जा सकता। लोग इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अपना आईपी एड्रेस छिपाने के लिए करते हैं। TOR पर सर्फिंग के दौरान किसी यूज़र की सोशल मीडिया पोस्ट, ऑनलाईन एक्टिविटी, सर्च हिस्ट्री, वेब मेल किसी भी चीज का पता नहीं लगाया जा सकता है।

किसने बनाई इंटरनेट की ये क्रिमिनल दुनिया

इंटरनेट की इस हिडन और क्रिमिनल दुनिया को अमेरिका ने इजात किया है। इसे इजात करने का मक्सद जासूसी करना था। आज से करीब 28 साल पहले 90 के दशक में अमेरिकी सेना ने डार्क वेब को बनाया था। अमेरिका के जासूस इस दुनिया के जरिए दूसरे देशों पर नजर रखते थे यानि उन देशों की जासूसी करते थे। लेकिन अमेरिका का यह हथियार उसे ही भारी पड़ा और इंटरनेट की यह दुनिया क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए मशहूर हो गई। इतना ही नहीं अमेरिका ने इंटरनेट की इस दुनिया को न सिर्फ बनाया, बल्कि यहां तक एक्सेस करने के लिए सॉफ्टवेयर भी इजात किया।

डार्क नेट से नुकसान

- **अपराधियों का 'आश्रय':** आमतौर पर सार्वजनिक इंटरनेट पर गैरकानूनी काम करने वालों तक सुरक्षा एजेंसियां आसानी से पहुंच जाती हैं, लेकिन डीप वेब में साइबर अपराधी बड़े आराम से गैरकानूनी गतिविधियां करते हैं, क्योंकि उनके पकड़े जाने का खतरा वहां कम होता है। करीब 15 साल पहले शुरु की गई यह सेवा अब अपराधियों के लिए सुरक्षित आश्रय बन गई है। तकनीकी जगत के कई लोग इसे साइबर जगत का अंडरवर्ल्ड भी कहने लगे हैं।
- **हैकिंग:** ईमेल खातों, बैंक खातों और लोगों के मोबाइल से किसी की निजी जानकारी निकालने के लिए हैकिंग इन दिनों काफी सामान्य है। यह बड़ी चिंता का कारण बन गया है। हैकिंग की वजह से लोग अपने व्यक्तिगत रिश्तों में व्यावसायिक नुकसान और तनाव का सामना करते हैं। इसके तहत कई देशों के रक्षा संबंधी गोपनीय जानकारियाँ भी हैक कर ली जाती हैं जिसका प्रभाव उस देश के रक्षा संबंधों पर भी पड़ता है। इसके अलावा इसके जरिए हैकर उस देश को ब्लैकमेल भी करते हैं।
- **व्यक्तिगत जानकारी चुराना:** प्रत्येक व्यक्ति ने इंटरनेट पर अपनी प्रोफाइल बना रखी है। सोशल मीडिया पर हर चीज के बारे में सब कुछ बताना एक प्रवृत्ति बन गई है। लोग दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, पर वास्तव में उन्हें इससे परेशानी हो सकती है। क्योंकि हैकर निजी जानकारी को चुराकर इनका इस्तेमाल अपहरण और ब्लैक मेलिंग जैसे अपराधों में करते हैं।
- **बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव:** बच्चे इंटरनेट के द्वारा हर चीज तक पहुँच जाते हैं। ज्यादातर माता-पिता अपने बच्चों को इंटरनेट कनेक्शन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रदान करते हैं ताकि वे अपनी परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी कर सकें लेकिन बच्चे गेमिंग, सोशल मीडिया और मनोरंजन के अन्य स्रोतों के लिए अक्सर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया में उनके डार्क इंटरनेट के चपेट में आ जाने की संभावना हो जाती है जहाँ कई अवांक्षनीय साइटों का जाल है। कई बार बच्चे अश्लील और अन्य घातक साइटें भी देखते हुए पाए जाते हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं है।
- **स्पैमिंग:** व्यवसायों के प्रचार के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है लेकिन इसके माध्यम से उपभोक्ताओं का शोषण भी होता है। सबसे चिंताजनक बात व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा और गोपनीय सूचनाओं का लीक होना है। डार्क वेब के कारण व्यवसाय और व्यावसायी दोनों प्रभावित हो रहे हैं।
- **मादक दवाओं का व्यापार:** इसके जरिये कुछ मादक दवाओं का अवैध व्यापार किया जाता है जो कि कानूनी रूप से जुर्म है। जैसे- उत्तेजक दवाएं, नशीली दवाएं आदि।

निष्कर्ष

मानव जैसे-जैसे विकास की गाथा लिख रहा है वैसे-वैसे उसके सामने नई-नई चुनौतियाँ आती जा रही हैं। यह जानकर आश्चर्य होता है कि जिस इंटरनेट को वर्तमान समय में जीवन का अभिन्न अंग माना जाने लगा है उसके प्रयोग को लेकर आम आदमी सिर्फ 5 प्रतिशत जानकारी रखता है। जिस तकनीकी को हम अपना सुरक्षा कवच मान रहे हैं यदि उसका इस्तेमाल सही तरीके से व सम्पूर्ण जानकारी के साथ नहीं किया गया तो वह हमारे लिए असुरक्षा का बहुत बड़ा कारण बनेगी।

तकनीक कभी गलत नहीं होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। लेकिन इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि बैंकिंग और सुरक्षा से लेकर कई अहम जानकारियों से लैस इंटरनेट के लिए डीप वेब एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है।

वर्तमान समय में जिस तेजी से इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है उसे देखते हुए यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है कि हमारा डाटा और प्रोफाईल कितना सुरक्षित है। ऐसी तकनीकी का विकास करना होगा जिससे कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल नहीं हो सके तथा यह गलत लोगों के हाथों में न जा सके। तकनीकी का विकास मानव के सतत विकास के लिए है न कि उसके विनाश के लिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना।

■

6. विरासत में मिली संपदा का कैसे हो संरक्षण?

चर्चा का कारण

हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) एवं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से नई दिल्ली में विरासत स्थलों/स्मारकों को अपनाने की परियोजना के तहत तीसरे पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। परियोजना के वेबसाइट के अनुसार अब तक 195 पंजीकरण हुए हैं जो उत्साह वर्धक है। 95 स्मारकों में पर्यटक अनुकूल सुविधाओं के विकास के लिए ओवरसाइट एंड विजन समिति ने 31 संभावित स्मारक मित्रों का चयन किया है। केंद्र सरकार की 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' स्कीम के तहत लाल किला देश की ऐसी पहली ऐतिहासिक इमारत बन गया है जिसे डालमिया ग्रुप ने 5 साल के कॉन्ट्रेक्ट पर गोद लिया है। इसके साथ ही डालमिया ग्रुप भी ऐसा पहला कॉर्पोरेट हाउस बन गया जिसने देश के किसी ऐतिहासिक स्थल को कॉन्ट्रेक्ट पर गोद लिया है। इसके लिए डालमिया ग्रुप ने सरकार को 25 करोड़ रुपये दिये हैं। अब लाल किले के रख-रखाव की जिम्मेदारी डालमिया ग्रुप की होगी।

क्या है गोद लो विरासत योजना?

पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर 27 सितंबर, 2017 को 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' योजना की शुरुआत की गई थी। 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' योजना के तहत सरकार निजी कंपनियों को धरोहरों को गोद लेने और उन्हें संभालने के लिए आमंत्रित करती है। यह भारतीय पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग तथा राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के मध्य पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई एक सहयोगी योजना है। इसमें हमारे समृद्ध और विविध विरासत स्मारकों को पर्यटन मैत्री बनाने की क्षमता है। यह योजना भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के प्रमुख स्मारकों के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत अभी तक देश के 95 स्मारकों को शामिल किया जा चुका है।

इस योजना के तहत चयनित विरासत स्थलों में बुनियादी एवं आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के साथ-साथ इनके संचालन तथा रख-रखाव की जिम्मेदारी भी ये कंपनियां निभाएंगी। इस समझौते के तहत कंपनिया इन विरासत स्थलों में जरूरी सुविधाएँ जैसे- कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के माध्यम से इनका रख-रखाव करने और पर्यटकों के लिये शौचालय, पीने का पानी, रोशनी की व्यवस्था करने और क्लॉकरूम आदि का विकास करेंगी।

हालाँकि एडॉप्ट ए हेरिटेज की वेबसाइट पर अनुपालन दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि यदि कंपनीयाँ भारत के पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करती हैं तो पाँच वर्ष का अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। प्रमुख विरासत स्थलों में लाल किला, कुतुबमीनार, हम्पी, सूर्य मंदिर, अजंता की गुफाएँ, चार मीनार, काँजीरंगा नेशनल पार्क आदि शामिल हैं।

विश्व धरोहर स्थल क्या है?

सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्त्व के स्थलों को विश्व धरोहर या विरासत कहते हैं। ये स्थल ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से महत्त्वपूर्ण होते हैं। इनका अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व होता है अतः इनके सरंक्षण हेतु विशेष प्रयास किये जाने चाहिए।

ऐसे स्थलों को जो मानवता के लिये जरूरी है, जिसका कि सांस्कृतिक और भौतिक महत्त्व है, उसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के तौर पर मान्यता दी जाती है। दुनियाभर में कुल 1052 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें से 814 सांस्कृतिक, 203 प्राकृतिक और 35 मिश्रित हैं।

भारत में धरोहर स्थल

भारत में फिलहाल 28 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित सहित कुल 36 विश्व धरोहर स्थल हैं।

सांस्कृतिक धरोहर स्थल

आगरा का किला (1983), अजंता की गुफाएँ (1983), नालंदा महाविहार (नालंदा विश्वविद्यालय), बिहार (2016), सांची बौद्ध स्मारक (1989), चंपानेर-पावागढ़ पुरातात्त्विक पार्क (2004), छत्रपति शिवाजी टर्मिनल (पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल) (2004), गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स (1986), एलिफेंटा की गुफाएँ (1987), एलोरा की गुफाएँ (1983), फतेहपुर सीकरी (1986), ग्रेट लिविंग चोल मंदिर (1987), हम्पी में स्मारकों का समूह (1986), महाबलिपुरम में स्मारक समूह (1984), पट्टडकल में स्मारक समूह (1987), राजस्थान में पहाड़ी किला (2013), हुमायूँ का मकबरा, दिल्ली (1993), खजुराहो में स्मारकों का समूह (1986), बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर (2002), माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया (1999), कुतुब मीनार और इसके स्मारक, दिल्ली (1993), रानी-की-वाव पाटन, गुजरात (2014), लाल किला परिसर (2007), भीमबेटका के रॉक शेल्टर (2003), सूर्य मंदिर कोर्णाक (1984), ताज महल (1983), ला कॉर्ब्युएर का वास्तुकला कार्य (2016), जंतर-मंतर, जयपुर (2010), अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर (2017)

प्राकृतिक धरोहर स्थल

हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र (2014), काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (1985), केवलादेव नेशनल पार्क (1985), मानस वन्यजीव अभयारण्य (1985), नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (1988), सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (1987), पश्चिमी घाट (2012)

मिश्रित

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान (2016)

गोद लो विरासत योजना का उद्देश्य

इस पहल का उद्देश्य एक योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से देश के धरोहरों का विकास करना, उन्हें पर्यटक अनुकूल बनाना तथा उनकी पर्यटन क्षमता और सांकृतिक महत्व को बढ़ाना है।इसके अलावा स्थानीय लोगों के लिए आजीविका पैदा करने के लिए ऐतिहासिक स्थलों के सांस्कृतिक तथा विरासत मूल्यों को बढ़ावा देना है। उन स्थलों के उचित संचालन तथा उसके रख-रखाव को सुनिश्चित करने के साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए पानी, शौचालय, बैटरी-रिक्शा, साइनबोर्ड वगैरह की व्यवस्था को बेहतर करने की भी योजना है।

इस योजना में यह भी प्रावधान है कि अगर किसी आर्थिक गतिविधि से गोद लेने वाली कंपनी को मुनाफा होता है तो उस धन को उस धरोहर विशेष के विकास में ही खर्च किया जाएगा। दरअसल कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने की यह एक पहल है। व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों को अपने व्यवसाय के मॉडल में समाज और पर्यावरण के हित के लिए कुछ सकारात्मक कार्यो को शामिल करने होते हैं, इसे ही कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कहते हैं।

वर्तमान में लगभग चार हजार विरासत स्थलों की देखरेख की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग के पास है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की इकाई यूनेस्को

की 'विश्व धरोहर स्थल' योजना भी सांस्कृतिक स्थलों की देख-रेख में सहायता प्रदान करती है। अभी भारत के 36 स्थलों की पहचान विश्व धरोहर स्थल के रूप में की गई है। विश्व धरोहर स्थल के रूप में लाल किला की पहचान वर्ष 2007 में की गई थी। जब यूनेस्को किसी स्थल को अपनी इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध करता है तब वैश्विक पटल पर उस स्थल की पहचान और अहमियत में इजाफा तो होता ही है, साथ ही यूनेस्को ऐसे स्थलों की देखरेख के लिए एक फंड भी जारी करता है।

'एडॉप्ट ए हेरिटेज' योजना के लाभ

इस योजना के तहत निम्न संभावित लाभ होंगे

- इस योजना के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा साथ ही विश्व के अन्य देशों के साथ भारत का जुड़ाव होगा। अर्थात इन देशों के पर्यटक भी भारत आएंगे।
- इस योजना के माध्यम से पर्यटन को बढ़ाने के लिए आस-पास के क्षेत्रों के बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- भारत में ऐतिहासिक धरोहरों की प्रचुरता है लेकिन सुविधाएँ नदारद हैं इस लिहाज से प्राइवेट कंपनियाँ इन स्थलों का विकास करेंगी जिससे इन धरोहरों की सुविधाएं भी विश्वस्तरीय हो सकेंगी।
- जब भारत के मुख्य धरोहरों का विकास प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया जाएगा तो सरकार अन्य छोटे-मोटे क्षेत्रीय धरोहरों के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगी। इस तरह स्थानीय स्तर पर भी सरकार, विरासत धरोहरों का विकास कर घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दे सकती है साथ ही इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व की भी प्राप्ति हो सकेगी।
- 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' योजना के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा जैसे-प्रचार-प्रसार का तरीका बदलेगा, तकनीकी क्षेत्र में प्रगति होगी।
- इस योजना के माध्यम से विभिन्न कंपनियों के मध्य प्रतियोगिता बढ़ेगी, अन्य कंपनियों को भी उभरने का मौका मिलेगा।
- कंपनियों द्वारा इन धरोहरों का विकास करने से एक तरफ जहाँ भ्रष्टाचार से निजात मिलेगा वहीं दूसरी तरफ इन कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी।
- इन धरोहरों का कंपनियों द्वारा जब देख-रेख किया जाएगा तब सरकार का राजस्व बचेगा और सरकार इस राजस्व का उपयोग अन्य लोक कल्याणकारी कार्यों पर खर्च कर सकेगी।
- इन संवृद्धशाली विरासत की देख-भाल करने में सरकारी मशीनरी पूर्णत: सक्षम नहीं है या यूं कहें कि सरकार के पास पर्याप्त धन का अभाव है। इसलिए अब इस योजना के माध्यम से इन धरोहरों को संरक्षित किया जा सकेगा।
- इन धरोहरों का रख-रखाव उचित तरीके से होने से इनकी मियाद बढ़ेगी।
- पेशेवर व्यवसायिकता का विकास होगा।
- एक समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत वाला देश वैश्विक फलक पर अधिक सॉफ्ट पावर रखता है जो उसको कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बढ़त प्रदान करता है।
- ज्यादातर ऐतिहासिक इमारतों के अंदर जाने के टिकट लगते हैं। जहाँ टिकट नहीं लगता है, वहाँ टिकट लगाया जा सकता है उससे होने वाली आय से रख-रखाव एवं आधारभूत सुविधाओं को आसानी से विकसित किया जा सकता है।

चिंताएँ

- संविधान ने अनुच्छेद 49 में देश के ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रख-रखाव और संरक्षण का जिम्मा सरकार को सौंपा है। इस नीति निदेशक सिद्धांत का पालन अभी तक सभी सरकारें करती आ रही थीं, लेकिन इन धरोहरों को प्राइवेट कंपनियों को दिये जाने से सरकार अपने दायित्वों के निर्वहन से बच रही है।
- एशिया के अन्य देशों में पर्यटकों को जो बुनियादी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं वे भारत में नदारद हैं। लचर निगरानी होने से इन पुरानी इमारतों की दीवारें भी बदरंग रहती हैं। ऐतिहासिक इमारतों एवं पर्यटक स्थलों की सही देखभाल के लिए पर्यटन मंत्रालय एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) के पास पर्याप्त फंड नहीं होने की समस्या साफ नजर आती है।
- प्राइवेट कंपनियों के इस क्षेत्र में पदार्पण से यूनेस्को तथा अन्य वैश्विक संस्थाओं द्वारा विरासत स्थलों के रख-रखाव के लिए दिया जाने वाला फंड रूक सकता है।
- इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार नई योजना में खामियां हैं। उन्होंने कहा, 'सबसे पहले अगर आपको धरोहर/स्मारकों को गोद देने की योजना लागू करनी थी तो कम मशहूर ढांचे के साथ यह प्रयोग करना चाहिए था।
- पेशेवर भारतीय इतिहासकारों के सबसे बड़े संगठन भारतीय इतिहास कांग्रेस (आईएचसी) ने समझौते की शर्तों को लेकर चिंता जताई है। उसने एक बयान में कहा है कि सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि कंपनी के पास स्मारकों के रख रखाव, संरक्षण, समझ आदि को लेकर कोई अनुभव नहीं है।
- इस बात को लेकर आशंका की पर्याप्त गुंजाइश है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस परिसर में किसी विशिष्ट ढांचे को लेकर यह किसी गलत या अप्रमाणित व्याख्या को प्रचलित कर सकता है।
- अभी खुलासा नहीं हुआ है कि गोद लेने वाली कंपनियां इस पर कितना खर्च करेंगी। फिर भी तय है कि इस पर जो खर्च होगा वह होने वाली आमदनी के मुकाबले कम ही होगा।
- यह भी गोद लेने वाली कंपनियां इनको देखने के लिए आने वाले पर्यटकों से तो शुल्क वसूलेंगी ही, वहां के चप्पे-चप्पे पर अपना विज्ञापन भी करेंगी। अपनी दूसरी व्यावसायिक गतिविधियों के जरिए भी वहां मोटा मुनाफा कमाएंगी।
- सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर दर्शकों के लिए निर्धारित शुल्क भी बढ़ा देंगी। जाहिर है कि देश की आबादी के एक बड़े तबके के लिए इन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का दीदार करना आसान नहीं रह जाएगा।
- घरेलू पर्यटकों के लिए टिकटों का मूल्य काफी कम रखने की बाध्यता ही जरूरी फंड के अभाव के लिए जिम्मेदार है।
- इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लाल किले के इर्द गिर्द संबंधित कंपनी के बैनर-पोस्टर नजर आने लगेंगे इससे इसका पुरातात्विक गौरव कहीं क्षीण न हो जाए।
- स्मारक मित्र योजना में किए जाने वाले व्यय को कंपनी के सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का हिस्सा बनाए जाने से प्रचार-प्रसार की आशंका और अधिक लग रही है।
- सवाल है कि क्या पर्यटन मंत्रालय पुरानी इमारतों के संरक्षण में महारत रखने वाली

एजेंसियों पर भरोसा नहीं कर सकता था? काफी कुछ इस पर निर्भर करेगा कि यह समझौता किस तरह अमल में लाया जाता है? एक नई अवधारणा होने से पर्यटन मंत्रालय के लिए कहीं बेहतर होता कि वह कम अहमियत वाले किसी स्मारक को गोद देकर इसका परीक्षण कर लेता।

- ऐसे में किसी निजी संस्था के हाथों में इसे सौंप देने से इसकी सुरक्षा में सेंधमारी का खतरा बढ़ जाने की आशंका है।

निष्कर्ष

भारत सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बहुत समृद्धशाली देश है, लेकिन हकीकत यह है कि विरासतों का उचित रख रखाव न हो पाने से कई धरोहरों का अस्तीत्व खतरे में है। अतः इस दिशा में सरकार की गोद लो विरासत योजना मील का पत्थर साबित हो सकती है। आज भी पर्यटन विभाग भारतीय राजस्व में बड़ा योगदान करता है। इसलिए इन धरोहरों को संरक्षित करने की नितांत आवश्यकता है। जिससे भारत अपनी समृद्धशाली गौरव को संरक्षित कर सके साथ ही सरकार को इससे संबंधित चिंताओं को भी ध्यान में रखने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न मुद्दे।

बुनियादी ढांचाः ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

■

7. जैव-ईंधनः ऊर्जा के नये वैकल्पिक स्रोत

चर्चा का कारण

हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जैव-ईंधन पर राष्ट्रीय नीति -2018 को मंजूरी दी जिसमें पेट्रोल के साथ मिलाए जाने वाले इथेनॉल के उत्पादन के लिए कच्चे माल का दायरा बढ़ाते हुए अनुपयुक्त अनाज, सड़े आलू और चुकंदर आदि के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। इससे तेल आयात के मद में इस वर्ष ही 4000 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मुख्य विशेषताएँ

- **श्रेणीबद्धताः** इस नीति में जैव-ईंधनों को 'आधारभूत जैव-ईंधनों' यानी पहली पीढ़ी (1जी) जैव इथेनॉल और जैव डीजल तथा 'विकसित जैव-ईंधनों' - दूसरी पीढ़ी (2जी) इथेनॉल, निगम के ठोस कचरे (एमएसडब्ल्यू) से लेकर ड्रॉप इन ईंधन, तीसरी पीढ़ी (3जी) के जैव-ईंधन जैव सीएनजी आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है ताकि प्रत्येक श्रेणी में उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके।
- **कच्चे माल का दायराः** नीति में गन्ने का रस, चीनी वाली वस्तुओं जैसे चुकन्दर, स्वीट सौरगम, स्टार्च वाली वस्तुएं जैसे- भुट्टा, कसावा, मनुष्य के उपभोग के लिए अनुपयुक्त बेकार अनाज जैसे गेहूं, टूटा चावल, सड़े हुए आलू के इस्तेमाल की अनुमति देकर इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल का दायरा बढ़ाया गया है।
- **अतिरिक्त अनाजों के इस्तेमाल की अनुमतिः** अतिरिक्त उत्पादन के चरण के दौरान किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलने का खतरा होता है। इसे ध्यान में रखते हुए इस नीति में राष्ट्रीय जैव-ईंधन समन्वय समिति की मंजूरी से इथेनॉल उत्पादन के लिए पेट्रोल के साथ उसे मिलाने के लिए अतिरिक्त अनाजों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।
- **अतिरिक्त शृंखला तंत्रः** जैव-ईंधनों के लिए, नीति में 2जी इथेनॉल जैव रिफाइनरी के लिए 1जी जैव ईंधनों की तुलना में अतिरिक्त कर प्रोत्साहनों एवं उच्च खरीद मूल्य के अलावा 6 वर्षों में 5000 करोड़ रुपये की निधियन योजना के लिए व्यवस्था का संकेत दिया गया है।
- **आपूर्ति शृंखलाः** नीति में गैर-खाद्य तिलहनों, इस्तेमाल किए जा चुके खाना पकाने के तेल, लघु लाभ फसलों से जैव डीजल उत्पादन के लिए आपूर्ति शृंखला तंत्र स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया गया है।
- इन प्रयासों के लिए नीति दस्तावेज में जैव-ईंधनों के संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का अधिग्रहण किया गया है।

पृष्ठभूमि

पौधों पर आधारित वे ईंधन, जैव-ईंधन (Biofuel) कहलाते हैं, जिनका उत्पादन आम तौर पर कृषि फसलों से किया जाता है। जैव-ईंधन (Biofuel) के दो मुख्य प्रकार हैंः इथेनॉल (Ethanol) और जैव-डीजल (Biodiesel)। इथेनॉल को आमतौर पर मक्के और गन्ने से बनाया जाता है, जबकि जैव डीजल (Biodiesel) को ताड़ के वृक्ष (मुख्यतः तेल), सोयाबीन (मुख्यतः सोय Soy), और केनोला (जिसे रेपसीड भी कहा जाता है) के फल से बनाया जाता है। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में कृषि फसलों से उत्पन्न जैव-ईंधन (Biofuel) के कारण प्रदूषण कम होता है और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम होता है।

देश में जैव-ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2009 के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जैव-ईंधनों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई थी। पिछले दशक में जैव-ईंधन ने दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया। जैव-ईंधन के क्षेत्र में विकास की गति के साथ चलना आवश्यक है। भारत में जैव-ईंधनों का रणनीतिक महत्व है क्योंकि ये सरकार की वर्तमान पहलों-मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, कौशल विकास आदि के अनुकूल है। साथ ही किसानों की आमदनी दोगुनी करने; आयात कम करने; रोजगार सृजन करने, कचरे से धन अर्जित करने आदि महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। भारत का जैव-ईंधन कार्यक्रम, जैव-ईंधन उत्पादन के लिए फीडस्टॉक की दीर्घकालिक अनुपलब्धता और परिमाण के कारण बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है।

राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति-2009

जैव-ईंधन पर राष्ट्रीय नीति नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई। इसे दिसम्बर, 2009 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

- 2017 से जैव-ईंधन के लिए 20 प्रतिशत मिश्रण के लिए जैव ईथेनॉल और जैव डीजल प्रस्तावित किया है।
- व्यर्थ/डिग्रेडेड/सीमान्त भूमि में होने वाले गैर खाद्य तेल बीजों से जैव डीजल का उत्पादन किया जाएगा।
- जैव-डीजल चारे के स्वदेशी उत्पादन पर केन्द्रित होगा और तेल, पाम जैसे वसायुक्त अम्ल रहित (एफएफए) के आयात की अनुमति नहीं होगी।
- उपजाऊ भूमि में पौधारोपण को प्रोत्साहन देने की बजाय समुदाय/सरकारी/जंगली बंजर भूमि पर जैव-ईंधन पौधारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा।

- इसके उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए जैव-ईंधन तेल बीजों के मूल्य को समय-समय पर बदलने के प्रावधान के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति में निहित एमएसपी प्रणाली की विस्तृत जानकारी पर ध्यान दिया जाएगा और जैव-ईंधन संचालन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।
- तेल विपणन कपनियों द्वारा जैव-ईथेनॉल की खरीद के लिए न्यूनतम खरीद मूल्य (एमपीपी) उत्पादन की वास्तविक लागत और जैव-ईथेनॉल के आयातित मूल्य पर आधारित होगा। बायो-डीजल के मामले में एमपीपी वर्तमान रिटेल डीजल मूल्य से संबंधित होगा।
- राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति में परिकल्पना की गई है कि जैव-ईंधन यानी बायोडीजल और जैव ईथेनॉल की घोषित उत्पादों के तहत रखा जाये ताकि जैव-ईंधन के अप्रतिबंधित परिवहन को राज्य के भीतर और बाहर सुनिश्चित किया जा सके।
- नीति में बताया गया है कि कोई कर और कोई शुल्क जैव डीजल पर नहीं लगाया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय जैव-ईंधन समन्वय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी।
- जैव-ईंधन संचालन समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाएगी।
- जैव-ईंधन के क्षेत्र में शोध के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नेतृत्व में संचालन समिति के अधीन एक उप-समिति का गठन किया जाएगा।
- शोध, विकास और प्रदर्शन पर विशेष जोर दिया जाएगा जिसके केंद्र में रोपण, प्रसंस्करण और उत्पादन प्रौद्योगिकी समेत दूसरी पीढ़ी के सेलुलोज से बने जैव-ईंधन शामिल होंगे।

संभावित लाभ

- **आयात निर्भरता कम होगी:** एक करोड़ लीटर ई-10 वर्तमान दरों पर 28 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत करेगा। वर्ष 2017-18 में करीब 150 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति का अनुमान था जिससे 4000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होती।
- **स्वच्छ पर्यावरण:** एक करोड़ लीटर ई-10 से करीब 20 हजार टन कार्बन डाईक्साइड उत्सर्जन कम होगा। वर्ष 2017-18 में इथेनॉल की आपूर्ति से 30 लाख टन कार्बन डाईआक्साइड उर्त्सजन कम हुआ। फसल जलाने में कमी लाने और कृषि संबंधी अवशिष्ट/कचरे को जैव-ईंधनों में बदलकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में और कमी आएगी।
- **स्वास्थ्य संबंधी लाभः** खाना पकाने के लिए तेल, खासतौर से तलने के लिए लंबे समय तक उसका दोबारा इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है और अनेक बीमारियां हो सकती हैं। इस्तेमाल हो चुका खाना पकाने का तेल जैव-ईंधन के लिए संभावित फीडस्टॉक हो सकता है और जैव-ईंधन बनाने के लिए इसके इस्तेमाल से खाद्य उद्योगों में खाना पकाने के तेल के दोबारा इस्तेमाल से बचा जा सकता है।
- **एमएसडब्लयू प्रबंधः** एक अनुमान के अनुसार भारत में हर वर्ष 62 एमएमटी निगम का ठोस कचरा निकलता है। ऐसी प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं जो कचरा/प्लास्टिक, एमएसडब्ल्यू को ईंधन में परिवर्तित कर सकती हैं।
- **ग्रामीण इलाकों में आधारभूत संरचना निवेशः** एक अनुमान के अनुसार एक 100 केएलपीडी जैव रिफाइनरी के लिए करीब 800 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। वर्तमान में तेल विपणन कंपनियां करीब 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से बारह 2जी रिफाइनरियां स्थापित करने की प्रक्रिया में है। साथ ही देश में 2जी जैव रिफाइनरियों से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
- **रोजगार सृजनः** एक 100 केएलपीडी 2जी जैव रिफाइनरी संयंत्र के परिचालनों से ग्रामीण स्तर के उद्यमों और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में 1200 नौकरियां सृजित की जा सकती हैं।
- **किसानों की अतिरिक्त आयः** 2जी प्रौद्योगिकियों को अपनाकर कृषि संबंधी अवशिष्टों/कचरों को इथेनॉल में बदला जा सकता है और यदि इसके लिए बाजार विकसित किया जाए तो कचरे का मूल्य मिल सकता है जिसे अन्यथा किसान जला देते हैं। साथ ही अतिरिक्त उत्पादन चरण के दौरान उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य नहीं मिलने का खतरा रहता है। अतः अतिरिक्त आनाजों को जैव ईंधन में परिवर्तित कर किसानों को फायदा पहुँजाया जा सकता है।

चुनौतियाँ

हालांकि पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में कृषि फसलों से उत्पन्न जैव ईंधन के कारण प्रदूषण कम होता है लेकिन व्यवहार में वैज्ञानिकों ने पाया है कि जैव-ईंधन के कारण कुछ पर्यावरणीय समस्याएँ सामने आ रही हैं। हाल ही में जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल और डीजल के स्थान पर पौधों को डीजल के रूप में अधिक उपयोग किया जाने लगा है, जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने में योगदान दे रहा है, जिससे पृथ्वी गर्म होती जा रही है।

जैव-ईंधन के उत्पादन के लिए पारंपरिक खाद्य फसलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी फसलों की मांग बहुत बढ़ गयी है। ऊंची कीमतें कुछ किसानों के लिए बेहतर हो सकती हैं, जिन्हें अपनी फसल के लिए अधिक कीमत मिलती हैं, किंतु इससे उपभोक्ता को भोजन के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। गरीब देशों में जहाँ लोगों के पास बहुत कम पैसा होता है, इससे भुखमरी की स्थिति आ सकती है। जैव-ईंधन के प्रति भारतीय किसानों में जागरूकता का अभाव भी एक समस्या है। भारत के अधिकांश सीमांत किसान इस प्रकार की खेती से फायदा उठाने से वंचित हैं।

आगे की राह

प्रकृति ने हमें सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि के रूप में ऊर्जा का अकूत भंडार सौंप रखा है और हम इनका उपयोग भी काफी हद तक करना सीख गए हैं। फिर भी, कई क्षेत्रों विशेषकर यातायात के क्षेत्र में आज भी हम मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन यथा कोयला एवं पेट्रोलियम पर ही निर्भर हैं। जिस रफ्तार से इनका उपयोग हो रहा है, ये बहुत कम दिनों में समाप्त हो जायेंगे। जिन देशों के पास इनका भंडार ज्यादा है वे मौके का फायदा उठाते हुए जब-तब दाम बढ़ाते ही रहते हैं। परिणाम सामने आता है महंगाई के रूप में। ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा जैव-ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 को मंजूरी देना एक ठोस पहल है। इस नीति से भविष्य में न केवल ईंधन से होने वाली पर्यावरण की समस्या का निदान हो सकेगा बल्कि किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी। बशर्ते सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका अधिक से अधिक लाभ सीमांत किसानों को मिले।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

विशालकाय कंपनियाँ बनाम विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ

प्र. "भारत में खुदरा क्षेत्र में वैश्विक कम्पनियों का आगमन खुदरा क्षेत्र के व्यापारियों के लिए विनाशकारी साबित होगा।" कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- वैश्विक कम्पनियों की कार्य पद्धति
- खुदरा क्षेत्र के व्यापारियों पर प्रभाव
- वैश्विक कम्पनियों के सकारात्मक पक्ष
- सरकारी नीति सहित सकारात्मक निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- वालमार्ट का भारत में आना
- वैश्विक कम्पनियों की कार्य पद्धति
- मुनाफे पर अधिक ध्यान व सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा
- आर्थिक जंग को बढ़ावा जिससे छोटे-छोटे व्यापारी बाजार से हट जाते हैं व बाजार पर एकाधिकार हो जाता है।
- खुदरा क्षेत्र के व्यापारी तकनीकी क्षमता, आर्थिक क्षमता, प्रबंधन क्षमता प्रत्येक स्तर पर घटते हैं जिससे बेरोजगारी बढ़ती है।

सकारात्मक पक्ष

- नवीन तकनीकी, प्रबंधन, निवेश का आगमन होता है।
- उत्पादों की गुणवत्ता व उनकी कीमतें ग्राहकों के हित में होती जाती है।
- रोजगारों के अवसर बढ़ते हैं।

निष्कर्ष

- सरकारी नीति ऐसी होना चाहिए जिससे गरीब जनता का शोषण न हो व बाजार में कम्पनियों के बीच एक स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा रहे।
- देश के विकास में व आर्थिक उन्नति में विदेशी निवेश काफी अहम भूमिका निभयेगा। ■

पोखरण परीक्षणः नाभिकीय शक्ति के आगाज से अब तक

प्र. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि, पोखरण-2 परमाणु परीक्षण ने दुनियाभर में भारत की परमाणु क्षमता का लोहा मनवाया था। प्रधानमंत्री के इस कथन की समीक्षा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- पोखरण-2
- परमाणु परीक्षण की आवश्यकता क्यों थी?
- भारत की परमाणु नीति
- परीक्षण के बाद बदलाव
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए 20 साल पहले हुए परमाणु परीक्षण को याद करते हुए कहा कि पोखरण-2 परमाणु परीक्षण ने दुनियाभर में भारत की क्षमता का लोहा मनवाया था। उन्होंने कहा कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह तारीख भारत के इतिहास में देश की सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर दर्ज हो गई।

पृष्ठभूमि

- भारत के परमाणु शक्ति संपन्न होने की शुरूआत 1945 में ही डा. होमी जहांगीर भाभा द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव रखने के साथ हो गई।
- 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद इस कार्यक्रम में तेजी आयी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई, 1974 को किया।

पोखरण-2

- भारत ने 11 मई 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण परीक्षण रेंज में पांच परमाणु परीक्षणों में से पहला परीक्षण किया था।
- भारत के इस कदम के साथ ही दुनिया भर में धाक जम गई। भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना जिसने परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

परमाणु परीक्षण की आवश्यकता क्यों?

- देश के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोडकर के अनुसार अगर भारत बिना परमाणु शक्ति संपन्न बने सीटीबीटी पर दस्तखत कर देता, तो फिर उसे परमाणु परीक्षण करने का मौका कभी नहीं मिलता।
- हमारे पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार थे, ऐसी परिस्थिति में भारत को परमाणु परीक्षण करना उस समय की सामरिक आवश्यकता थी।

भारत की परमाणु नीति

- भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत "पहले उपयोग नहीं" है।
- गैर परमाणु राष्ट्रों के खिलाफ परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

परीक्षण के बाद बदलाव

- मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में अमेरिका के साथ हुए असैनिक परमाणु समझौते (123 समझौता) के बाद दुनिया के साथ भारत के परमाणु संबंध फिर से शुरू हो गए।
- सितंबर 2008 में NSG से मिली राहत ने भारत पर तीन दशक से अधिक समय तक अमेरिका के नेतृत्व में लगे वैश्विक प्रतिबंध को हटाया जो 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर लगाया गया था।

आगे की राह

- भारत को सामरिक जरूरतों के लिए अपने पड़ोसी देशों से श्रेष्ठ हथियार प्रौद्योगिकी विकसित करनी होगी।
- हमें अपने देश की आंतरिक एवं बाह्य चुनौतियों से निपटने के लिए दूरगामी रणनीति बनानी पड़ेगी। ■

वर्तमान में बढ़ते कैदी बनाम जेलों की निहित क्षमता

प्र. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के बंद होने पर सरकार से रिपोर्ट माँगा है। सरकार द्वारा किए गए प्रयास को बताते हुए जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के बंद होने का कारण तथा उसके समाधान पर चर्चा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- वर्तमान स्थिति
- सरकारी पहल
- कारण
- समाधान
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने देश भर के जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के भरे होने पर चिंता जताया है।
- न्यायामूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायामूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा "न्याय मित्र की ओर से दिए गए नोट से प्रतीत होता है कि जेल अधिकारी जेलों के क्षमता से अधिक भरे होने के मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।"

पृष्ठभूमि

- संविधान की सातवीं अनुसूचि के तहत जेलों का रख-रखाव व प्रबंधन पूरी तरह से राज्य सरकारों का विषय है।
- जेलों की देखरेख जेलों के प्रिजंस एक्ट 1894 और संबंधित राज्य सरकारों के मैनुअल द्वारा किया जाता है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में कैदियों को जीवन और स्वतंत्रता के उनके मूल अधिकार के एक भाग के रूप में निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार प्रदान किया गया है।

वर्तमान स्थिति

- नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2015 रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कई जेलें कैदियों की संख्या के लिहाज से छोटी पड़ रही है।
- देश की कई जेल हैं जो क्षमता से 100 फीसदी तथा कुछ मामले में तो यह 150 से 600 फीसदी तक भरी है। इस मामले में छत्तीसगढ़ (233%) और दिल्ली (226%) देश में सबसे आगे हैं।

सरकारी पहल

- अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के प्रयासों के अंतर्गत ही देश में करीब 20 साल पहले लोक अदालतों की स्थापना हुई थी।
- जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या कम करने के इरादे से जनवरी 2010 में तत्कालीन विधि एवं न्यायमंत्री वीरप्पा मेइली ने मिशन अंडर ट्रायल शुरू किया था।
- गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2016 तक लगभग 219 नये जेल और 1572 बैरकों का निर्माण किया गया है।
- सरकार खुली जेल का अधिक से अधिक विस्तार कर रही है। इसके साथ ही ई-कोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है।

कारण

- जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण न्यायालयों में लंबित पड़े मामले हैं।
- जिस अनुपात में देश के अंदर कैदी हैं उस अनुपात में जेलों की संख्या नहीं है।
- ग्राम न्यायालय जैसी संस्थायें सही व सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही हैं।
- ऐसे लोग जेलों में 10-10 साल तक बंद पड़े हैं जिनकी वास्तविक सजा सिर्फ 2 साल है।

आगे की राह

- फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना अत्यधिक संख्या में किया जाय।
- न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया जाय।
- ई-कोर्ट का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।
- न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाया जाय।

निष्कर्ष

- यह सही है कि जेलों में कैदियों की संख्या क्षमता से अधिक है। लेकिन यदि सरकार और आम नागरिकों का सहयोग हो तो इस समस्या को आसानी से सुलझाया जा सकता है। सकरार इस मुद्दे पर तेज गति से कार्य कर रही है और उम्मीद है कि न्यायालय भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे और इसके समाधान के लिए सरकार का हर संभव साथ देंगे।■

उपचार की आस लगाए भारतीय धमनियाँ

प्र. वर्तमान समय में भारतीय रेलवे अपनी आधारभूत समस्याओं से निपटने में असमर्थ नजर आ रही है। इसके कारणों की चर्चा करते हुए कौन-कौन से आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- अन्य देशों से तुलना
- भारतीय रेलवे की समस्या
- विभिन्न समितियों की रिपोर्ट
- सरकारी पहल
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- वर्तमान समय में रेलवे अपनी अनेक समस्याओं से ग्रसित है जैसे- रेलवे की लेटलतीफी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, अच्छी कैटरिंग की व्यवस्था, स्वच्छता की समस्या, रेलवे का परंपरागत व्यावसायिक तरीका, यात्रियों की सुरक्षा, अपर्याप्त बजट, निवेश की कमी, भ्रष्टाचार, कर्मचारियों की कमी, बढ़ते ट्रेन हादसे आदि।

पृष्ठभूमि

- भारत में रेलवे की शुरूआत 22 दिसंबर 1851 को रूड़की में हुई थी यह एक मालगाड़ी थी। इसके बाद 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी जिसने कुल 34 किमी. की दूरी तय की।
- वर्तमान समय में भारत का रेल नेटवर्क विश्व के बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है।

अन्य देशों से तुलना

- भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है।
- चीन जहाँ रेलवे पर अपनी जीडीपी का 2 प्रतिशत से अधिक खर्च करता है वहीं भारत अपनी जीडीपी का मात्र 0.4 प्रतिशत ही खर्च करता है।

भारतीय रेलवे की समस्याएँ

- राजनैतिक लाभ लेने के कारण यात्रियों को यात्रा सब्सिडी दी जाती है जिससे रेलवे पर वित्तीय बोझ लगातार बढ़ रहा है।
- माल भाड़ा रेलवे के राजस्व में दो-तिहाई योगदान करता है तथा कोयला भाड़ा इसका आधा योगदान करता है।

विभिन्न समितियों की रिपोर्ट

- विवेक देब राय समिति ने सुझाव दिया कि भारत सरकार और रेलवे संगठनों के बीच जिम्मेदारी का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए।
- अनिल काकोदकर समिति ने रेलवे के सिंग्नल और टेलीकम्यूनिकेशन सिस्टम को अत्याधुनिक बनाये जाने की जरूरत पर जोर दिया।

सरकारी पहल

- देश भर में रेलवे आपूर्ति शृंखला का डिजिटलीकरण, रेलवे से संबंधित प्रोजेक्टों के लिए ई-आक्शन व ई-प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है, जिससे जवाब देही पारदर्शिता व दक्षता में सुधार हो रहा है।
- रेल बजट 2018-19 के तहत अगले दो सालों में 4267 मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म कर उन्हें बिजली नेटवर्क में परिवर्तित किया जाएगा।

आगे की राह

- रेलवे को अपने दोषपूर्ण लाइनों को यथा शीघ्र ठीक करने की आवश्यकता है।
- उचित निर्णय लेने की प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए भारतीय रेलवे दोहरी लेखा प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है।
- रेलवे में ग्रुप सी तथा ग्रुप डी स्तर के कर्मचारियों की यथाशीघ्र भर्ती किए जाने की आवश्यकता है। ■

डार्क नेटः इंटरनेट का श्याह पक्ष

प्र. डार्क नेट क्या है? इसका परिचय देते हुए इससे इंटरनेट की दुनिया पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- डार्क इंटरनेट क्या है
- TOR क्या है
- डार्क इंटरनेट की शुरूआत
- डार्कनेट से नुकसान
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- डार्कनेट के अध्ययन से पता चला है कि डार्क वेब में विक रहे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए बगैर ओटीपी नंबर के भी किसी के बैंक अकाउंट से ऑनलाइन शापिंग के जरिए पैसे की चोरी हो सकती है।
- डार्क वेब के जरिए हैकर क्रेडिट, डेबिट कार्ड, पासवर्ड, बैंक डिटेल को हैक करके इसे डार्क जोन पर वेब करंसी बिटक्वाईन में बेचते हैं।

डार्क इंटरनेट क्या है

- इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइटे हैं जो आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले गूगल, याहू, बिंग जैसे सर्च इंजनों और सामान्य ब्राउजिंग के दायरे से परे होती है, इन्हें ही डार्कनेट या डीपनेट कहा जाता है।
- डार्कनेट के तीन प्रकार है- सर्फेस वेब, डीप वेब तथा डार्क वेब।

TOR क्या है

- TOR एक सॉफ्टवेयर है, जो यूजर्स की पहचान और इंटरनेट गतिविधियों को खुफिया एजेंसियों की नजरों से बचाता है।
- TOR पर सर्फिंग के दौरान किसी यूजर की सोशल मीडिया पोस्ट, ऑनलाईन गतिविधि, सर्च हिस्ट्री, वेब मेल किसी भी चीज का पता नहीं लगाया जा सकता है।

डार्कनेट की शुरूआत

- इंटरनेट की इस हिडन और क्रिमिनल दुनिया को अमेरिका ने इज़ाद किया है।
- आज से करीब 28 साल पहले 90 के दशक में अमेरिकी सेना ने डार्क वेब को बनाया था।

डार्कनेट से नुकसान

- अपराधिकरण में बढ़ावा, हैकिंग, व्यक्तिगत जानकारी का लीक होना, स्मैपिंग, साइबर असुरक्षा, मादक दवाओं का व्यापार आदि।

निष्कर्ष

- डार्कनेट सामान्य व्यक्ति के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति उपलब्ध इंटरनेट का सिर्फ 5% हिस्से का ही इस्तेमाल करता है जबकि 95% हिस्से के बारे में उसको जानकारी नहीं है। यही कारण है कि हैकर किसी के निजी दस्तावेज से लेकर, उसके अकाउंट में पड़े पैसे तक को चुरा ले रहे हैं। अत: आवश्यकता इस बात की है कि तकनीकी को इस तरह विकसित किया जाय जिससे कि सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त हो सके तथा वह व्यक्ति के विकास में सहायक हो। ■

विरासत में मिली संपदा का कैसे हो संरक्षण?

प्र. "भारत की समृद्धशाली विरासत को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना कारगर साबित होगी?" इस कथन के संदर्भ में इस योजना की समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है गोद लो विरासत योजना?
- विश्व धरोहर स्थल क्या है?
- गोद लो विरासत योजना का उद्देश्य
- चिंताएँ
- इस योजना से लाभ
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय तथा पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) एवं राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से नई दिल्ली में विरासत स्थलों/स्मारकों को अपनाने की परियोजना के तहत तीसरे पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया।
- केंद्र सरकार की 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' योजना के तहत लाल किला देश की ऐसी पहली ऐतिहासिक इमारत बन गया है जिसे डालमिया ग्रुप ने 5 साल के लिए गोद लिया है।

क्या है गोद लो विरासत योजना?

- पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर 27 सतंबर, 2017 को 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' योजना की शुरूआत की गई थी।
- इस योजना के तहत सरकार निजी कंपनियों को धरोहरों को गोद लेने और उन्हें संभालने के लिए आमंत्रित करती है।

विश्व धरोहर स्थल क्या है?

- सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों को विश्व धरोहर या विरासत कहते हैं। ये स्थल ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होते हैं।
- ऐसे स्थलों को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था युनेस्को, विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करती हैं।

गोद लो विरासत योजना का उददे्श्य

- इस पहल का उद्देश्य एक योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से हमारे धरोहरों का विकास करना, उन्हें पर्यटन अनुकूल बनाना तथा उनकी पर्यटन क्षमता और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाना है।

चिंताएँ

- इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार नई योजना में खामियाँ हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले अगर आपको धरोहरों को गोद देने की योजना लागू करनी थी तो कम मशहूर ढाँचे के साथ यह प्रयोग करना चाहिए था।
- इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लाल किले के इर्द गिर्द संबंधित कंपनी के बैनर-पोस्टर नजर आने लगें और इसका पुरातात्विक गौरव कहीं क्षीण न हो जाए।

एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के लाभ

- इस योजना के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा साथ ही विश्व के अन्य देशों के साथ भारत का जुड़ाव होगा।
- भारत में ऐतिहासिक धरोहरों की प्रचुरता है लेकिन सुविधाएं नदारद हैं इस लिहाज से प्राइवेट कंपनियाँ इन स्थलों का विकास करेंगी जिससे इन धरोहरों की सुविधाएँ भी विश्वस्तरीय हो सकेंगी।

निष्कर्ष

- भारत सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बहुत समृद्धशाली देश है। लेकिन हकीकत यह है कि विरासतों का उचित रख रखाव न हो पाने से कई धरोहरों का अस्तित्व खतरे में है। ■

जैव-ईंधनः ऊर्जा के नये वैकल्पिक स्रोत

प्र. हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव-ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 को मंजूरी दे दी है। यह नीति वर्तमान में कितना प्रासंगिक है? मूल्यांकन करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- इस नीति की मुख्य विशेषताएँ
- पृष्ठभूमि
- राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति-2009
- संभावित लाभ
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में जैव-ईंधन को बढ़ावा देने के लिए जैव-ईंधन-2018 पर राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दे दी है।

इस नीति की मुख्य विशेषताएँ

- इस नीति में गन्ने का रस, चीनी वाली वस्तुओं जैसे- चुकन्दर, स्वीट सौरगम, स्टार्च वाली वस्तुएँ जैसे- भुट्टा, कसावा, मनुष्य के उपभोग के लिए अनुपयुक्त बेकार अनाज जैसे- गेहूँ, टूटा चावल, सड़े हुए आलू के इस्तेमाल की अनुमति देकर इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल का दायरा बढ़ाया गया है।
- किसानों को उचित मूल्य दिलाने पर बल, अतिरिक्त कर प्रोत्साहन, आपूर्ति शृंखला तंत्र को स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

पृष्ठभूमि

- देश में जैव-ईंधन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2009 के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जैव-ईंधनों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई थी।
- भारत में सरकार द्वारा जैव-ईंधन को बढ़ावा देने के पीछे मुख्य कारण ईंधन के स्तर पर आत्मनिर्भरता, किसानों की आमदनी में इजाफा तथा ईंधन से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का निदान करना है।

राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति-2009

- राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति-2009 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गयी। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं- डीजल चारे के स्वदेशी उत्पादन पर केंद्रित होगा और तेल, पाम जैसे वसायुक्त अम्ल रहित (एफएफए) की अनुमति नहीं होगी।
- उपजाऊ भूमि में पौधारोपण को प्रोत्साहन देने की बजाय समुदाय/सरकारी जंगली बंजर भूमि पर जैव-ईंधन पौधारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा।

संभावित लाभ

- आयात निर्भरता में कमी, स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य संबंधी लाभ, एमएसडब्ल्यू प्रबंधन ग्रामीण इलाकों में आधारभूत संरचना निवेश, रोजगार सृजन, किसानों की अतिरिक्त आय आदि की चर्चा करें।

चुनौतियाँ

- पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में कृषि फसलों से उत्पन्न जैव-ईंधन से प्रदूषण कम होता है, फिर भी वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ पर्यावरणीय समस्याएँ सामने आ रही हैं। गरीब देशों तथा सीमांत किसानों के लिए इसके परिणाम नुकसानदायक मिल रहे हैं।

आगे की राह

- देश को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तथा ईंधन से पर्यावरण की समस्या के निदान के लिए सरकार द्वारा लायी गयी यह नीति निश्चित ही एक ठोस पहल है बशर्ते इसका लाभ सीमांत किसानों एवं गरीब जनता को भी मिले। ■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. कावेरी जल विवाद मामले में मसौदा योजना को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2018 को कावेरी के तट पर स्थित दक्षिण भारत के चार राज्यों के बीच सुगम तरीके से जल बंटवारा सुनिश्चित करने हेतु कावेरी प्रबंधन योजना संबंधी केन्द्र सरकार के मसौदे को मंजूरी दे दी।

इस फैसले को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने पारित किया। न्यायालय ने कावेरी योजना को अंतिम रूप न दे पाने को लेकर तमिलनाडु द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को भी खारिज कर दिया।

कावेरी जल विवाद?

- कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में गम्भीर विवाद है।
- इस विवाद की जड़ें भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेन्सी तथा मैसूर राज्य के बीच वर्ष 1892 एवं वर्ष 1924 में हुए दो समझौते हैं।
- दोनों समझौतों से यही बात सामने आई है कि वर्तमान जल प्रणाली में ऊपरी इलाकों में नए कार्यों की वजह से जलप्रवाह में बाधा नहीं डाली जाएगी और निचले इलाकों में होने वाली सिंचाई के लिए पानी की कटौती नहीं की जायेगी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 16 फरवरी के फैसले

- सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह अपने अंतर्राज्यीय बिलीगुंडलु बांध से कावेरी नदी का 177.25 टीएमसीएफटी जल तमिलनाडु के लिए छोड़े।
- फैसले में यह स्पष्ट किया गया कि कर्नाटक को अब प्रति वर्ष 14.75 टीएमसीएफटी जल अधिक मिलेगा जबकि तमिलनाडु को 404.25 टीएमसीएफटी जल मिलेगा जो न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2007 में निर्धारित जल से 14.75 टीएमसीएफटी कम होगा।
- यह आदेश प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ ने सुनाया।
- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को कावेरी बेसिन के नीचे कुल 20 टीएमसीएफटी जल में से अतिरिक्त 10 टीएमसीएफटी भूजल निकालने की अनुमति भी दी।
- कोर्ट ने कहा कि कावेरी जल आवंटन पर उसका फैसला आगामी 15 वर्षों तक लागू रहेगा। ■

2. पानी से आर्सेनिक को निकालने वाले उपकरण का अविष्कार

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) ने एक निजी कंपनी के साथ मिलकर एक ऐसा उपकरण बनाया है जो पानी में आर्सेनिक का पता लगा लेगा और इसको पानी से निकाल उसे सुरक्षित और उपयोग करने योग्य बना देगा।

आईआईएसईआर के निदेशक सौरभ पाल ने बताया कि उपकरण का नाम 'आर्सेनिक सेंसर एंड रेमूवल मीडिया' है। यह एक प्रभावी प्रणाली है जिसके उत्पादन की लागत भी कम है। आईआईएसईआर की अनुसंधान टीम ने प्रमुख रसायनों के निर्माता की प्रयोगशाला में आर्सेनिक सेंसर बनाया है। उन्होंने कहा कि अगर पानी में आर्सेनिक है तो यह सेंसर तुरंत रंग बदल लेगा।

आर्सेनिक

- आर्सेनिक एक अत्यधिक विषैला तत्व है और इसकी बहुत कम मात्रा भी मानव शरीर को प्रभावित करने लगती है। आर्सेनिक की उपयोगिता विज्ञान, औषधि एवं तकनीकी कार्य में सर्वविदित है परन्तु भूजल में आर्सेनिक की सांद्रता 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होने पर इसका स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। आर्सेनिक का प्रयोग कीटनाशक, सेमीकन्डेक्टर तथा कॉपर और लैड के अयस्क को मजबूती देने के लिये किया जाता है। भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के कछारीय क्षेत्रों के भूजल में आर्सेनिक की सांद्रता 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक पाई गई है। भारत के सात राज्य भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण की समस्या से प्रभावित है। यह राज्य हैं पूर्वोत्तर में असम एवं मणिपुर, गंगा के कछारी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश तथा मध्य भारत के छत्तीसगढ़। ■

3. केंद्र सरकार 200 अतिरिक्त मंडियों को ई-नैम से जोड़ेगी

भारत सरकार देश की 200 अन्य थोक मंडियों को ई-नैम में शामिल करने की योजना पर कार्य कर रही है। कृषि सचिव एस. के पट्टनायक द्वारा जारी बयान में कहा गया कि मौजूदा सत्र में इन थोक मंडियों को ई- नैम में शामिल कर ऑनलाइन ट्रेड से जोड़ा जाएगा।

अभी तक 14 राज्यों की 585 नियमित मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (eNAM) से जोड़ दिया गया है, जिसे अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था।

घोषणा की विशेषताएं

- मंडियों को इस सुविधा से जोड़ने के साथ ही इंटर-मंडी (ऑनलाइन ट्रेडिंग) में और अधिक गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर होगा।
- आंकडों के अनुसार 14 राज्यों के 73.5 लाख किसान 53,153 कमीशन एजेंट और 1 लाख व्यापारी इस पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत किए जा सके हैं।
- इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं।
- सरकार का प्रयास है कि इस दौरान अधिक से अधिक मंडियों को इस ऑनलाइन मंडी से जोड़कर एक बाजार के अंतर्गत लाया जा सके।

ई-नैम क्या है?

इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नैम) एक पैन-इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा ए.पी.एम.सी मंडी का एक प्रसार है।

ई-नैम पोर्टल सभी ए.पी.एम.सी से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए एक ही स्थान पर सेवा प्रदान करता है। इसमें अन्य सेवाओं के बीच उपज के आगमन और कीमतों, व्यापार प्रस्तावों को खरीदने और बेचने, व्यापार प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा यह विनियमित बाजार में पारदर्शी विक्रय सुविधा और मूल्य की खोज के लिए राष्ट्रीय ई-बाजार उपलब्ध कराता है।

- व्यापारी का एक लाइसेंस राज्य भर के सभी बाजारों में मान्य रहेगा।

कृषि उपज की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और खरीददारों द्वारा सूचित बोली सक्षम करने के लिए प्रत्येक बाजार में परख करने की क्रिया के लिए (गुणवत्ता परीक्षण) मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान करता है। ■

4. पेंशन प्राप्त करने के लिये आधार अनिवार्य नहीं: केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने के लिये आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं है।

स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की हाल में हुई 30वीं बैठक में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी साझा की थी। इसके जरिये जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है और इसके लिये बैंकों में जाने की जरूरत नहीं है।

AADHAAR

पृष्ठभूमि

- आधार 12 अंकों की संख्या है। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण (यूआईडीएआई) जारी करता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा।
- इस प्राधिकरण की स्थापना 28 जनवरी 2009 को एक अधिसूचना के द्वारा योजना आयोग के संबद्ध कार्यालय के रूप में 115 अधिकारियों और स्टाफ की कोर टीम के साथ की गई।
- केंद्र सरकार के 48.41 लाख कर्मचारी हैं और 61.17 लाख पेंशनभोगी हैं। ■

5. हरियाणा और ब्रिटेन के बीच दस समझौते

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ब्रिटेन दौरे के दौरान 10 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये। इन एमओयू से राज्य में करीब 1500 करोड़ का निवेश तथा एक हजार लोगों को सीधे रोजगार मिलने का अनुमान है।

इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विदेश यात्राओं पर जाते रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी विदेश यात्राओं के दौरान 21 एमओयू हो चुके हैं जिनमें 1.26 लाख करोड़ का निवेश पाइप लाइन में है। गुरुग्राम में आयोजित हैपनिंग हरियाणा समिट के दौरान 304 एमओयू

हुए थे, जिनमें से करीब 150 कंपनियों ने प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री द्वारा जारी बयान के अनुसार राज्य में 14 कंपनियों ने 5134 करोड़ रुपये औद्योगिक निवेश किया है।

- कोल्ड एनर्जी सहित कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और सहयोगी गतिविधियों के लिए बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ एमओयू हस्ताक्षर हुआ है।
- प्रतिनिधिमंडल ने ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन (टीएफएल) के साथ भी बैठक की, जिसने गुरुग्राम जैसे विकासशील शहरों में सफल सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए काम करने की इच्छा जताई है।

- हाउस ऑफ लॉर्ड में लॉर्ड राज लूंबा के साथ बैठक के दौरान छः एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
- कौशल विकास में सहयोग करने के लिए डब्ल्यूकेसीआईसी समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। यह कॉलेज हरियाणा में कौशल विकास कार्यक्रमों को ले कर और इसके लिए अपनी विशेषज्ञता साझा करेगा।
- पोंटाक के साथ फिनटेक, स्मार्ट सिटीज और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यूके इंडिया ग्लोबल बिजनेस लिमिटेड के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन।
- जैलबा लिमिटेड और एयू कैपिटल पार्टनर्स लिमिटेड के साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) पहल के उपक्रम के लिए समझौता ज्ञापन।
- गुरुग्राम में 10 मिलियन पौंड स्टर्लिंग के निवेश के साथ विकास केंद्र स्थापित करने और 50 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग (550 करोड़ रुपये) के निवेश के साथ आईओटी हार्डवेयर के निर्माण लिए समझौता ज्ञापन।
- गुडबॉक्स के साथ हरियाणा में विनिर्माण और सेवाओं की आउटसोर्सिंग, प्रौद्योगिकी संचालन एवं विकास और सेवा एवं टेक कॉल सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन।
- बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें आदान-प्रदान कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यशालाएं और संगोष्ठियों, शिक्षा और प्रशिक्षण शामिल हैं। ■

6. बौद्धिक संपदा के मस्कट 'आईपी नानी' का शुभारंभ

केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने 16 मई 2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार कानून पर आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रीय संपदा के प्रतीक चिन्ह (मस्कट)-आईपी नानी का शुभारंभ किया।

समारोह के दौरान सुरेश प्रभु ने एंटी पायरेसी वीडियो भी लांच किया। इस विडियो में अमिताभ बच्चन ने भूमिका निभाई है।

आईपी नानी के बारे में

- मस्कट आईपी नानी तकनीक को समझने और उपयोग करने वाली एक नानी है, जो अपने पोते 'छोटू' आदित्य की सहायता से आईपी अपराधों से लड़ने में सरकार तथा एजेंसियों की मदद करती है।
- यह आईपी मस्कट सुरूचिपूर्ण ढंग से लोगों विशेषकर बच्चों में बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रति जागरूकता फैलायेगा।
- यह चरित्र विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के अभियान के अनुरूप है जो महिलाओं की प्रतिभा सरलता जिज्ञासा और साहस को दुनिया में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण मानता है।
- यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि एक मजबूत आईपी प्रणाली नवोन्मेषी और रचनात्मक महिलाओं को समर्थन प्रदान करती।

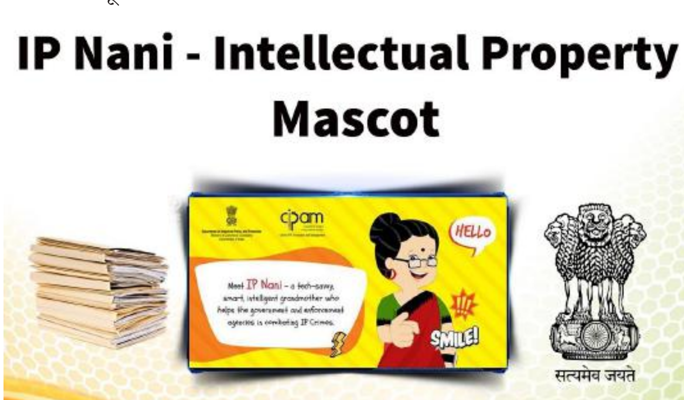

आईपी नानीः राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति का एक हिस्सा

- सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए आईपीआर महत्वपूर्ण होता जा रहा है। केन्द्रीय कैबिनेट ने 12 मई 2016 को राष्ट्रीय आईपीआर नीति को मंजूरी दी थी।
- इस नीति के तहत इस बात पर बल दिया गया है कि भारत बौद्धिक संपदा संबंधी कानूनों को मानता है और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए यहां प्रशासनिक तथा न्यायिक ढांचा मौजूद है।
- ज्ञान आधारित समाज के निर्माण के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा के लिए केवल कानूनी प्रावधान ही पर्याप्त नहीं हैं बल्कि इन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
- बौद्धिक संपदा अधिकार के चोरी किये जाने के संदर्भ में जागरूकता फैलानी चाहिए और इस प्रयास में समाज की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- आईपी नानी पर आधारित वीडियो सीआईपीएएम के यूट्यूब चौनल (सीआईपीएएम इंडिया), ट्वीटर हैंडल और फेसबुक पेज पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय आईपीआर नीति के सात उद्देश्य

- **बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकताः** समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- **बौद्धिक संपदा अधिकारों का सृजनः** बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ावा।
- **वैधानिक एवं विधायी ढांचाः** मजबूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना, ताकि अधिकृत व्यक्तियों तथा बृहद लोकहित के बीच संतुलन कायम हो सके।
- **प्रशासन एवं प्रबंधनः** सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाना।
- **बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यवसायीकरणः** व्यवसायीकरण के जरिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्य निर्धारण।
- **प्रवर्तन एवं न्यायाधिकरणः** बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघनों का मुकाबला करने के लिए प्रवर्तन एवं न्यायिक प्रणालियों को मजबूत बनाना।
- **मानव संसाधन विकासः** मानव संसाधनों, संस्थानों की शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाना तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों में कौशल निर्माण करना। ■

7. मुद्रा योजना को बढ़ावा देने हेतु 40 कम्पनियों के साथ समझौता

वित्त मंत्रालय ने मुद्रा योजना को बढ़ावा देने के लिए तथा छोटे उद्यमियों को ऋण आवंटन बढ़ाने के लिए देश की 40 बड़ी कंपनियों के साथ समझौता किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार फ्लिपकार्ट, स्विगी, पतंजलि और अमूल सहित यह सभी इकाइयां बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण दिए जा सकने लायक लोगों की पहचान करने के लिए मंत्रालय 23 जून को मुंबई में एक कार्यक्रम का आयोजन करेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके तहत ऋण आवंटित किया जा सकें।

समझौते के मुख्य बिंदु

- यह कंपनियां ऐसे लोगों की पहचान करेंगी, जिन्हें मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन की जरूरत है। उनकी सहमति के बाद इस योजना के तहत लोन दिया जायेगा।
- मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के इच्छुक लोग बैंक से संपर्क करते हैं, लेकिन इस पहल से फाइनेंशियल सर्विसेस डिपार्टमेंट ऐसे लोगों तक स्वयं पहुंचेगा।
- जिन लोगों को अपने बिजनेस के लिए लोन की जरूरत है लेकिन उन्होंने बैंक से संपर्क नहीं किया है उन्हें स्वयं संपर्क किया जायेगा।
- पिछले वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 2.53 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया, जबकि बीते तीन साल के दौरान 5.73 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया जा चुका है।

मुद्रा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जो अपना व्यवसाय आरम्भ करना चाहता है उसे सरकार द्वारा किफायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मुद्रा योजना के तहत आवेदक को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त हो सकता है। इसमें दिए जाने वाले ऋण को तीन श्रेणियों में बांटा गया है - शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। यह मूल रूप देश के गैर कॉर्पोरेट छोटे व्यापारियों के वित्तीय पोषण जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया उपक्रम है।

शिशु श्रेणी: यह श्रेणी व्यापार के शुरूआती दौर की श्रेणी है। वे सभी व्यापार जो कि अभी ख़ अभी शुरू हुए है और लोन के लिए रहा देख रहे है इस श्रेणी में आते है। इस श्रेणी में आने वाले सभी माइक्रो यूनिट्स के लिए 50,000 रूपये तक का लोन दिया जायेगा। शिशु श्रेणी के लिए ब्याज दर 10 से 12 % तक की रेंज में है।

किशोर श्रेणी: इस श्रेणी के अंतर्गत कारोबार आरंभ होने तथा उसके बढ़ने के दौरान का समय आता है। इस श्रेणी में आने वाली कम्पनियों के लिए 50,000 रूपये से लेकर 5 लाख रूपये तक का ऋण देने का प्रावधान है। किशोर श्रेणी के लिए ब्याज दर 14 से 17% तक है।

तरुण श्रेणी: जो छोटे कारोबार स्थापित हो चुके हैं तथा बाजार में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं, वे सभी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस श्रेणी के व्यापार को बढ़ाने के लिए यदि वित्तीय आवश्यकता है तो करोबारी को 10,00,000 रूपये तक का ऋण दिया जा सकता है। तरुण श्रेणी के लिए ब्याज दर 16% से आरंभ होती है।

■

अंतर्राष्ट्रीय

1. पानी पर तैरता पहला परमाणु संयंत्र

रूस ने 19 मई 2018 को विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया। अब तक किसी भी देश के पास इस प्रकार की तकनीक नहीं थी। रूस ने इसे मुर्मस्क शहर के एक बंदरगाह से समुद्र में उतारा। इसका नाम 'एकेडेमिक लोमोनोसोव' (akademik lomonosov) है।

तथ्य

- यह रूसी जहाज एक परमाणु रिएक्टर है। जो अगले एक साल तक समुद्र के सफर पर रहेगा।
- एकेडेमिक लोमोनोसोव का उद्देश्य पूर्वी और उत्तरी साइबेरिया के दूरदराज के इलाकों में बिजली आपूर्ति करना और ऑयल रिफाइनिंग करना है।
- इसका निर्माण सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोस्तम ने सेंट्स पीटरसबर्ग में किया है।
- यह परमाणु सयंत्र दो लाख की आबादी की बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसका निर्माण वर्ष 2007 में शुरू हुआ था, लेकिन वित्तीय कमी से यह परियोजना लंबे समय तक लंबित रही।

एकेडेमिक लोमोनोसोव की विशेषताएं

- इसका नाम रूस के अकदमीशियन मिखाइल लोमोनोसोव के नाम पर रखा गया है।
- रूस के इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की लंबाई 144 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर और वजन 21,000 टन है।
- इसमें 35 मेगावाट के दो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, यह रिएक्टर बर्फ के पहाड़ों को काटने वाले आइसब्रेकर शिप के रिएक्टर की तरह हैं।
- संयंत्र अपनी क्षमता से दो लाख की आबादी वाले शहर के लिए बिजली पैदा कर सकता है।
- इस तैरते हुए संयंत्र से दूरदराज के इलाकों में गैस और तेल उत्खनन प्लेटफार्मों को बिजली मिल सकेगी।
- रूस का दावा है कि इससे प्रतिवर्ष होने वाले 50 हजार टन कार्बन डाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन रोका जा सकता है।
- इस रिएक्टर में काम करने के लिए 69 सदस्य हैं जो इसे चलाते हैं। इस परमाणु संयंत्र की आयु लगभग 40 वर्ष बताई गई है।

इसके अतिरिक्त यह प्रतिदिन 2.4 लाख क्यूबिक मीटर पेयजल भी उत्पन्न करेगा। ■

2. चीन ने चंद्रमा के अध्ययन हेतु उपग्रह लॉन्च किया

चीन ने हाल ही में पृथ्वी एवं चीनी चंद्र अन्वेषण मिशन के मध्य संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से उपग्रह प्रक्षेपित किया। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दूसरे हिस्से के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना है।

- इस उपग्रह का प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च-4सी रॉकेट की सहायता से देश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मौजूद शिचांग प्रक्षेपण केंद्र से किया गया।
- चीन का प्रस्तावित चंद्रयान चंद्रमा की अंधेरे वाली सतह का बड़े पैमाने पर अध्ययन करेगा।
- चीन का लक्ष्य 2030 तक अंतरिक्ष के क्षेत्र में रूस और अमेरिका की तरह एक प्रमुख शक्ति बनने का है।
- यह उपग्रह चांद के तुलनात्मक रूप से हल्के और कम रोशनी वाले किनारों को लेकर अध्ययन करेगा और इसके कारणों का पता लगाएगा कि इन किनारों में रोशनी कम क्यों है।
- नेमड क्यूकीओ (मैपगी ब्रिज) नाम के इस उपग्रह का वजन 400 किलोग्राम है। यह उपग्रह अगले तीन वर्ष तक काम करेगा।

चांद के दूरदराज के सिरे पर अँधेरी सतह की जांच शुरू करने वाला पहला देश बनने के लक्ष्य की दिशा में यह परीक्षण एक महत्वपूर्ण कदम है। गौरतलब है कि चीन की योजना अगले वर्ष खुद के मानव अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कार्य को शुरू करना है। ■

3. भारत में प्रति 1 लाख व्यक्तियों में 211 क्षय रोगी: WHO

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की 'विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2018' के अनुसार, 2016 में भारत में प्रति 1,00,000 लोगों में से क्षय रोग (टीबी) के 211 अनुमानित मामले सामने आए हैं। नेपाल और भूटान ने 1,00,000 आबादी में भारत की तुलना में टीबी के कम मामलों को दर्ज किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित वैश्विक लक्ष्य से भारत ने पांच साल पहले, 2025 तक क्षय रोग को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने वाली संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गयी थी। इसके 193 सदस्य देश तथा दो संबद्ध सदस्य हैं। इसका उद्देश्य विश्व के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊँचा करना है। स्विटजरलैंड के जेनेवा शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। भारत भी इसका सदस्य देश है। दिल्ली में इसका भारतीय मुख्यालय स्थित है। ■

4. भारत बना 6वां सबसे अमीर देश

हाल ही में जारी की गई न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का छठवां सबसे धनी देश बन गया है। भले ही यहां पर अभी भी गरीबों की संख्या अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा हो पर अमीरों की संख्या भी यहां अन्य देशों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिर्पोट के अनुसार भारत 8,230 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ विश्व का छठवां सबसे धनी देश है। जबकि अमेरिका इस मामले में पहले नंबर पर है। अमेरिका की सम्पत्ति 62,584 अरब डालर है।

- 24,803 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ चीन दूसरे और 19,522 अरब डॉलर के साथ जापान तीसरे स्थान पर है।
- इस समीक्षा में किसी देश के हर व्यक्ति की कुल निजी संपत्ति को आधार माना गया है।

भारत में संपत्ति सृजन के कारणों में उद्यमियों की काफी संख्या, अच्छी शिक्षा प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी का शानदार परिदृश्य, कारोबारी प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर और मीडिया का क्षेत्र शामिल है। इस तरह से पिछले 10 वर्षों में कुल संपत्ति में 200 गुना तेजी दर्ज की गई है। ■

5. निकोलस मादुरो बने वेनेजुएला के राष्ट्रपति

वेनेजुएला के वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने 21 मई 2018 को एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उनके प्रतिद्वंद्वियों ने इस चुनाव को खारिज करते हुए मांग की है कि इस वर्ष के अंत में फिर से चुनाव कराए जाएं।

- राष्ट्रीय चुनाव परिषद के प्रमुख टी लुसेना ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव में 46.1 फीसदी मतदान हुआ जो पिछली बार वर्ष 2013 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के मतदान 80 प्रतिशत से बहुत कम है। वेनेजुएला के मुख्य विपक्षी दल ने इस राष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार किया था जिसके कारण मतदान प्रतिशत में यह कमी दर्ज की गई।
- निकोलस मादुरो को 58 लाख वोट मिले जबकि दूसरे नंबर पर रहे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेनरी फाल्कोन को 18 लाख मत मिले।
- इससे पहले, राष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार करने वाली मुख्य विपक्षी पार्टी ने निकोलस मादुरो को चुनौती देने वाले दो उम्मीदवारों से अनुरोध किया था कि वे नतीजों को खारिज कर दें, क्योंकि चुनाव एक धोखा है। वेनेजुएला राष्ट्रपति चुनाव पर अनियमितता और बड़े पैमाने पर हिंसा के आरोप लगे हैं।

निकोलस मादुरो से संबंधित मुख्य तथ्य

- वे यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला के नेता हैं।
- राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के नेतृत्व में निकोलस मादुरो देश के उप राष्ट्रपति रहे, वे वर्ष 2006 में देश के विदेश मंत्री भी रहे।
- निकोलस मादुरो एक उदारवादी नेता हैं।
- वेनेजुएला के इतिहास में निकोलस मादुरो वह शख्स हैं जिन्होंने लातिन अमरीकी देशों में 21वीं शताब्दी के सबसे शानदार और करिश्माई नेता उगो शावेज की जगह ली।
- मादुरो की ही सरकार में वेनेजुएला ने हाल के दिनों का सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेला। लेकिन इस सबके बाद भी निकोलस मादुरो की सरकार बची रही।
- बस ड्राइवर के बेटे के रूप में बचपन बिताने वाले निकोलस मादुरो के लिए ये उनके राजनीतिक जीवन की एक बड़ी उपलब्धि थी।
- वेनेजुएला को कंगाली से बचाने के लिए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने नई वर्चुअल करेंसी (मुद्रा) बनाने की घोषणा की थी। ■

6. भारत ने अमेरिका को डब्ल्यूटीओ में घसीटा

एल्युमिनियम और इस्पात पर आयात शुल्क लगाने के मुद्दे पर भारत ने अमेरिका को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की विवाद निपटान प्रणाली में घसीटा है। भारत ने कहा है कि इन उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने के अमेरिका के फैसले से उसका निर्यात प्रभावित होगा। अमेरिका का यह कदम वैश्विक व्यापार नियमों के अनुपालन के तहत नहीं है।

- भारत ने मामले में अमेरिका के साथ बातचीत पर जोर दिया है। भारत ने कहा है कि विचार-विमर्श किसी भी विवाद के निपटान का पहला कदम है। यदि दोनों देश बातचीत के बाद किसी आपसी सहमति पर नहीं पहुंच सके, तो उसके बाद भारत डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान समिति से मामले पर गौर करने को कहेगा।
- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 मार्च को इस्पात और अल्यूमीनियम के आयात पर भारी शुल्क लगा दिया था।
- ट्रंप के इस कदम से दुनियाभर में वैश्विक व्यापार युद्ध छिड़ने की आशंका पैदा हो गयी। ट्रंप ने दो आदेशों पर हस्ताक्षर किये, जिसमें इस्पात उत्पादों के आयात पर 25 फीसदी और अल्यूमीनियम आयात पर 10 फीसदी शुल्क लगाया गया। हालांकि, कनाडा और मैक्सिको को इन उत्पादों पर आयात शुल्क से छूट दी गयी। भारत ने भी अमेरिका से इन उत्पादों पर आयात शुल्क लगाये जाने से छूट देने की मांग की है
- भारत ने यह भी कहा कि अमेरिका ने सुरक्षात्मक उपाय प्रभावित देशों से चर्चा किए बिना लगाए हैं। अमेरिका द्वारा शुल्क लगाए जाने से 13.44 करोड़ डॉलर का इस्पात निर्यात जबकि ऐल्युमिनियम के मामले में 3.12 करोड़ डॉलर के निर्यात प्रभावित हुए हैं। अमेरिका से आयात होने वाले जिन 20 जिंसों पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसमें मटर, चना, ताजा सेब, अखरोट, सोयाबीन तेल, रिफाइंड पामोलीन, कोको पाउडर, चॉकलेट उत्पाद, गोल्फ कार और 800 सीसी से अधिक क्षमता की मोटरसाइकल और अन्य मालवाहक वाहन शामिल हैं। ■

7. पूरे विश्व का भ्रमण कर वापस लौटीं नौसेना की बहादुर महिलाएँ

आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है और देश को यह अवसर प्रदान किया है नौसेना की उन जाबांज महिलाओं ने जो पूरे विश्व का चक्कर लगाकर लौटी हैं। पिछले साल 10 सितंबर को आईएनएस तारिणी से इन महिलाओं को नाविका सागर परिक्रमा अभियान के अन्तर्गत विश्व भ्रमण के लिए रवाना किया गया था।

- आठ महीने से ज्यादा समय में समुद्र के रास्ते दुनिया को नापने वाली 'आईएनएसवी तारिणी' की चालक दल की महिला सदस्य हाल ही में गोवा पहुंच गई हैं।
- रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और नौसेना प्रमुख सुनील लांबा ने इन जाबांज महिलाओं का जोरदार स्वागत किया।इन्होंने 55 फुट के 'आईएनएस तारिणी' में अपनी यह यात्रा पूरी की। नौसेना ने बताया कि सभी महिला चालक सदस्यों द्वारा हासिल की गई यह पहली उपलब्धि है।

- यह यात्रा छह चरण में पूरी की गई है और चालक दल ने इस दौरान फ्रेमांटले (ऑस्ट्रेलिया), लाइटिलटन (न्यूजीलैंड), पोर्ट स्टैनली (फॉकलैंड द्वीप), केप टाउन (दक्षिण अफ्रीका) और मॉरीशस में अपना पड़ाव डाला। प्रवक्ता ने बताया कि चालक दल ने अपनी यात्रा के दौरान 21,600 नॉटिकल मील की दूरी तय की और तारिणी ने दो बार भूमध्य रेखा, चार महाद्वीपों और तीन सागरों को पार किया। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

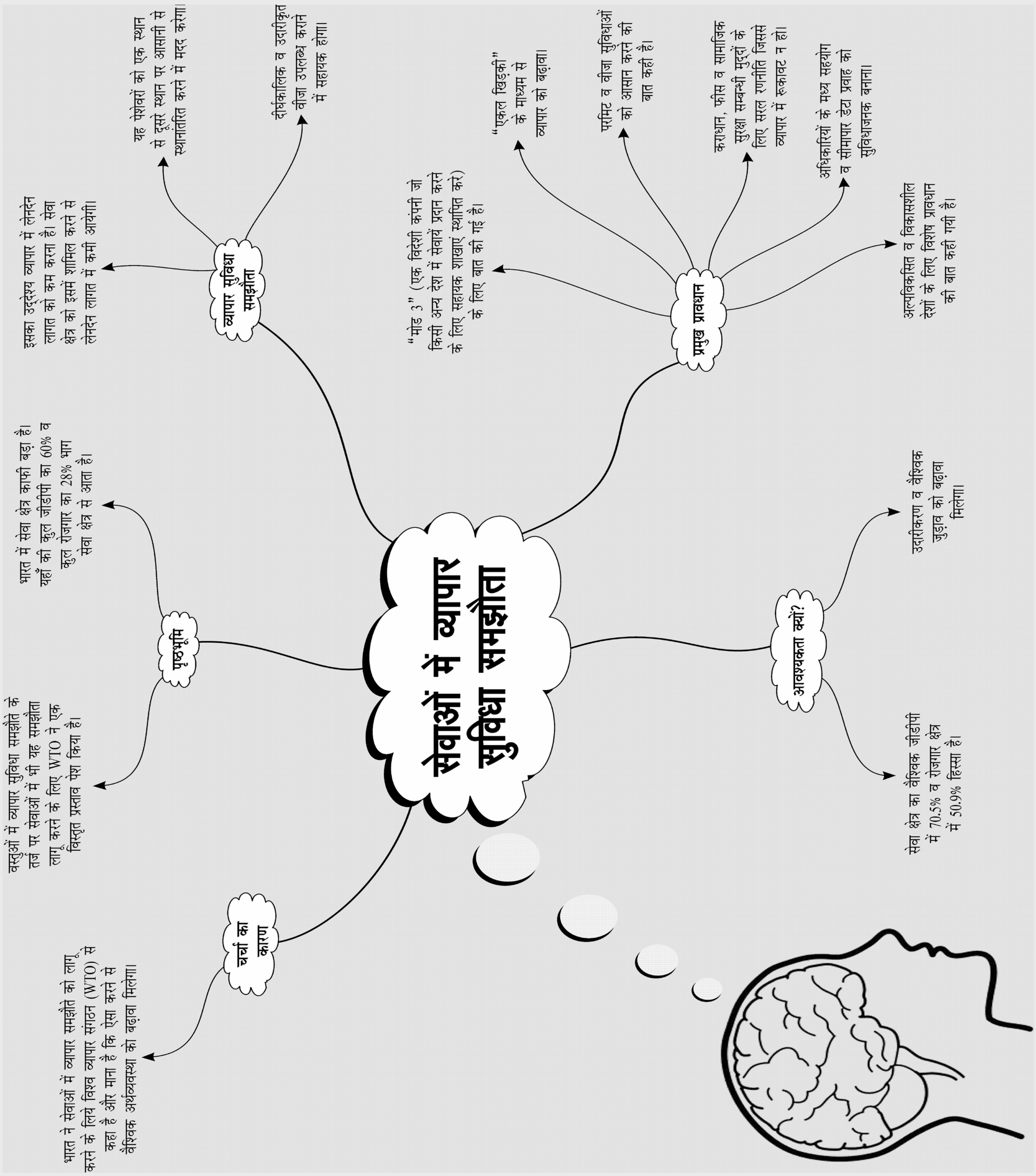
सेवाओं में व्यापार सुविधा समझौता
चर्चा का कारण
भारत ने सेवाओं में व्यापार समझौते को लागू करने के लिये विश्व व्यापार संगठन (WTO) से कहा है और माना है कि ऐसा करने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
पृष्ठभूमि
वस्तुओं में व्यापार सुविधा समझौते के तर्ज पर सेवाओं में भी यह समझौता लागू करने के लिए WTO ने एक विस्तृत प्रस्ताव पेश किया है।
भारत में सेवा क्षेत्र काफी बड़ा है। यहाँ की कुल जीडीपी का 60% व कुल रोजगार का 28% भाग सेवा क्षेत्र से आता है।
व्यापार सुविधा समझौता
इसका उद्देश्य व्यापार में लेनदेन लागत को कम करना है। सेवा क्षेत्र को इसमें शामिल करने से लेनदेन लागत में कमी आयेगी।
यह पेशेवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से स्थानांतरित करने में मदद करेगा।
दीर्घकालिक व उदारीकृत वीजा उपलब्ध कराने में सहायक होगा।
प्रमुख प्रावधान
"मोड 3" (एक विदेशी कंपनी जो किसी अन्य देश में सेवायें प्रदान करने के लिए सहायक शाखाएं स्थापित करे) के लिए बात की गई है।
"एकल खिड़की" के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा।
परमिट व वीजा सुविधाओं को आसान करने की बात कही है।
कराधान, फीस व सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दों के लिए सरल रणनीति जिससे व्यापार में रूकावट न हो।
अधिकारियों के मध्य सहयोग व सीमापार डेटा प्रवाह को सुविधाजनक बनाना।
अल्पविकसित व विकासशील देशों के लिए विशेष प्रावधान की बात कही गयी है।
आवश्यकता क्यों?
सेवा क्षेत्र का वैश्विक जीडीपी में 70.5% व रोजगार क्षेत्र में 50.9% हिस्सा है।
उदारीकरण व वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा।

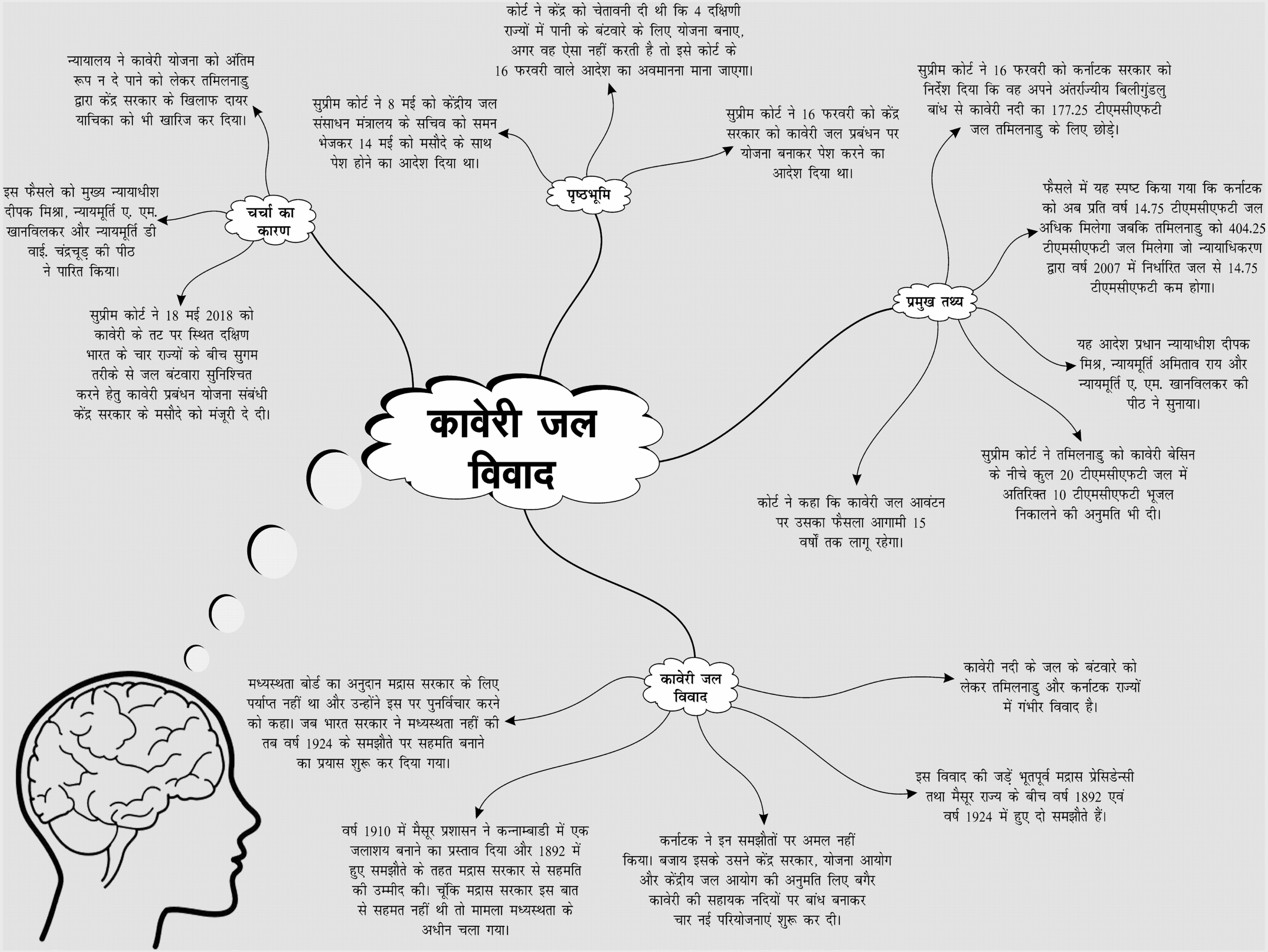
कावेरी जल विवाद
पृष्ठभूमि
कोर्ट ने केंद्र को चेतावनी दी थी कि 4 दक्षिणी राज्यों में पानी के बंटवारे के लिए योजना बनाए, अगर वह ऐसा नहीं करती है तो इसे कोर्ट के 16 फरवरी वाले आदेश का अवमानना माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सचिव को समन भेजकर 14 मई को मसौदे के साथ पेश होने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी को केंद्र सरकार को कावेरी जल प्रबंधन पर योजना बनाकर पेश करने का आदेश दिया था।
चर्चा का कारण
न्यायालय ने कावेरी योजना को अंतिम रूप न दे पाने को लेकर तमिलनाडु द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ दायर याचिका को भी खारिज कर दिया।
इस फैसले को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने पारित किया।
सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2018 को कावेरी के तट पर स्थित दक्षिण भारत के चार राज्यों के बीच सुगम तरीके से जल बंटवारा सुनिश्चित करने हेतु कावेरी प्रबंधन योजना संबंधी केंद्र सरकार के मसौदे को मंजूरी दे दी।
प्रमुख तथ्य
सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी को कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह अपने अंतर्राज्यीय बिलीगुंडलु बांध से कावेरी नदी का 177.25 टीएमसीएफटी जल तमिलनाडु के लिए छोड़े।
फैसले में यह स्पष्ट किया गया कि कर्नाटक को अब प्रति वर्ष 14.75 टीएमसीएफटी जल अधिक मिलेगा जबकि तमिलनाडु को 404.25 टीएमसीएफटी जल मिलेगा जो न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2007 में निर्धारित जल से 14.75 टीएमसीएफटी कम होगा।
यह आदेश प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति अमिताव राय और न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की पीठ ने सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को कावेरी बेसिन के नीचे कुल 20 टीएमसीएफटी जल में अतिरिक्त 10 टीएमसीएफटी भूजल निकालने की अनुमति भी दी।
कोर्ट ने कहा कि कावेरी जल आवंटन पर उसका फैसला आगामी 15 वर्षों तक लागू रहेगा।
कावेरी जल विवाद
कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में गंभीर विवाद है।
इस विवाद की जड़ें भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेन्सी तथा मैसूर राज्य के बीच वर्ष 1892 एवं वर्ष 1924 में हुए दो समझौते हैं।
कर्नाटक ने इन समझौतों पर अमल नहीं किया। बजाय इसके उसने केंद्र सरकार, योजना आयोग और केंद्रीय जल आयोग की अनुमति लिए बगैर कावेरी की सहायक नदियों पर बांध बनाकर चार नई परियोजनाएं शुरू कर दी।
वर्ष 1910 में मैसूर प्रशासन ने कन्नाम्बाडी में एक जलाशय बनाने का प्रस्ताव दिया और 1892 में हुए समझौते के तहत मद्रास सरकार से सहमति की उम्मीद की। चूंकि मद्रास सरकार इस बात से सहमत नहीं थी तो मामला मध्यस्थता के अधीन चला गया।
मध्यस्थता बोर्ड का अनुदान मद्रास सरकार के लिए पर्याप्त नहीं था और उन्होंने इस पर पुनर्विचार करने को कहा। जब भारत सरकार ने मध्यस्थता नहीं की तब वर्ष 1924 के समझौते पर सहमति बनाने का प्रयास शुरू कर दिया गया।

राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति

चर्चा का कारण

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 14 मई 2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति जारी की।

उद्देश्य

- इस नीति का मुख्य उद्देश्य ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के कुशल उपयोग के लिए बड़े ग्रिड से जुड़े पवन-सौर फोटोवोल्टिक्स (पीवी) हाइब्रिड सिस्टम के प्रचार के लिए एक ढांचा प्रदान करना है।
- इस नीति का लक्ष्य अक्षय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशीलता को बेहतर बनाना और बेहतर ग्रिड स्थिरता प्राप्त करना है।

नीति की मुख्य विशेषताएँ

- यह नीति वैकल्पिक स्रोत (एसी) के साथ-साथ डायरेक्ट करंट (डीसी) स्तर पर ऊर्जा स्रोतों अर्थात पवन और सौर दोनों के एकीकरण के लिए अनुमति प्रदान करती हैं।
- यह नीति हाइब्रिड परियोजना में पवन और सौर घटकों के हिस्से में लचीलापन भी प्रदान करती है।
- यह नीति इस शर्त के अधीन है कि एक संसाधन की पावर क्षमता रेटेड हाइब्रिड प्रोजेक्ट को मान्यता प्राप्त करने के लिए अन्य संसाधनों की रेटेड पावर क्षमता का कम से कम 25 प्रतिशत होना चाहिए।
- नई नीति हाइब्रिड परियोजनाओं के साथ-साथ मौजूदा पवन या सौर परियोजनाओं के संकरण को बढ़ावा देने की मांग करती है।
- मौजूदा पवन और सौर परियोजनाओं को स्वीकृत एक से अधिक संचरण क्षमता के साथ संकरित किया जा सकता है।
- नई नीति आउटपुट को अनुकूलित करने और भिन्नता को कम करने के लिए हाइब्रिड परियोजनाओं में बैटरी स्टोरेज के उपयोग की अनुमति देती है।
- नियामक प्राधिकरणों को पवन-सौर संकर प्रणालियों के लिए आवश्यक मानकों और विनियमों को तैयार करने करना अनिवार्य है।

महत्व

- यह नीति टैरिफ-आधारित पारदर्शी बोली प्रक्रिया पर एक संकर परियोजना से बिजली की खरीद के लिए भी अनुमति प्रदान करती है जिसके लिए सरकारी संस्थाएं बोलियां आमंत्रित कर सकती हैं।
- हाल ही के वर्षों में नवीनीकरण में महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि और संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से हाइब्रिड नीति के साथ, यह अनुमान लगाया गया है कि हाइब्रिड पॉलिसी कम परिवर्तनीयता के साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अक्षय ऊर्जा की उपलब्धता के लिए एक नया क्षेत्र खोल देगा।

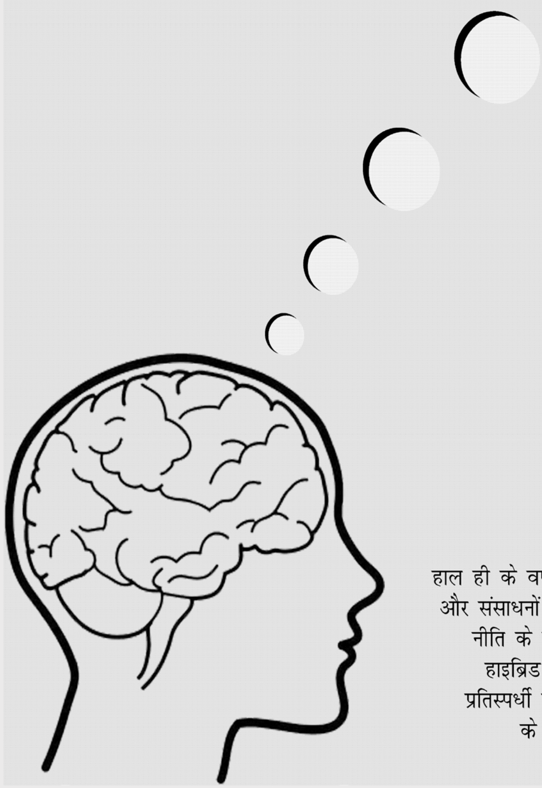

हरित कौशल विकास कार्यक्रम

हरित कौशल विकास कार्यक्रम (GSDP)

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में युवाओं के भीतर पर्यावरण से संबंधित रोजगार और उद्यमिका पैदा करना है।
- इसके तहत सरकार अगले एक साल के भीतर देश के करीब 80 संस्थानों में 80,000 युवाओं को प्रशिक्षण देगी।
- अगले साल इनकी संख्या 2 लाख हो जाएगी और 2021 तक करीब 5.5 लाख युवा ग्रीन स्किल्ड वर्कर के तौर पर ट्रेनिंग ले चुके होंगे।

प्रशिक्षण प्रक्रिया

- पर्यावरण सूचना प्रणाली (ENVIS) और रिसोर्स पार्टनर्स के साथ देश भर के संस्थानों की मदद से लगभग 30 पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को पर्यावरण और वनीय क्षेत्र में प्रशिक्षित करेगा।
- यह सर्टिफिकेट कोर्स 80 से 560 घंटे के बीच के होंगे।
- पाठ्यक्रम से जुड़ी अधिक जानकारी मोबाइल एप्प के जरिए हासिल की जा सकेगी एवं इनमें से अधिकतर पाठ्यक्रम 10वीं अथवा 12वीं ड्रॉप आउट्स के लिए तैयार किए गए हैं।
- इनमें से रिवर डॉल्फिन कन्जर्वेशन, वॉटर बजटिंग एंड ऑडिटिंग, फॉरेस्ट फायर मेनेजमेंट फॉर स्मॉल बोटेनिकल गार्डेन, प्रोग्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बैम्बूज, वर्ल्ड आइडेंटिफिकेशन और सिटी एन्वायरमेंट सर्वेयर्स जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं।

विशेष

- हरित कौशल विकास कार्यक्रम (GSDP) को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2017 में देश के 10 जिलों में लॉन्च किया गया था।
- इसके तहत 154 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया था।
- इनमें अधिकतर स्कूल ड्रॉप-आउट युवा शामिल थे।
- इन्हें पैराटैक्सोनॉमिस्ट्स और बॉयोडावर्सिटी कंजर्वेशनिस्ट के तौर पर प्रशिक्षित किया गया।
- पायलट प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए सरकार ने GSDP को पूर्ण रूप से आरंभ करने का निर्णय लिया।

चर्चा का कारण

- केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 14 मई 2018 को हरित कौशल विकास कार्यक्रम (GSDP) आरंभ किया।
- इस अवसर पर GSDP-ENVIS नामक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया जिससे इच्छुक आवेदक कार्यक्रम की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उद्देश्य

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुशल कार्यबल की बढ़ती मांग को पूरा करना है।
- इस कार्यक्रम के तहत अगले तीन वर्षों में साढ़े पांच लाख से अधिक युवकों को पर्यावरण से जुड़े कार्यों में प्रशिक्षित करके उनका कौशल विकास किया जाएगा।
- इस दौरान 30 प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरंभ किये जायेंगे तथा वर्ष 2021 तक प्रशिक्षित युवाओं को पर्यावरण संरक्षण हेतु तैयार किया जायेगा।

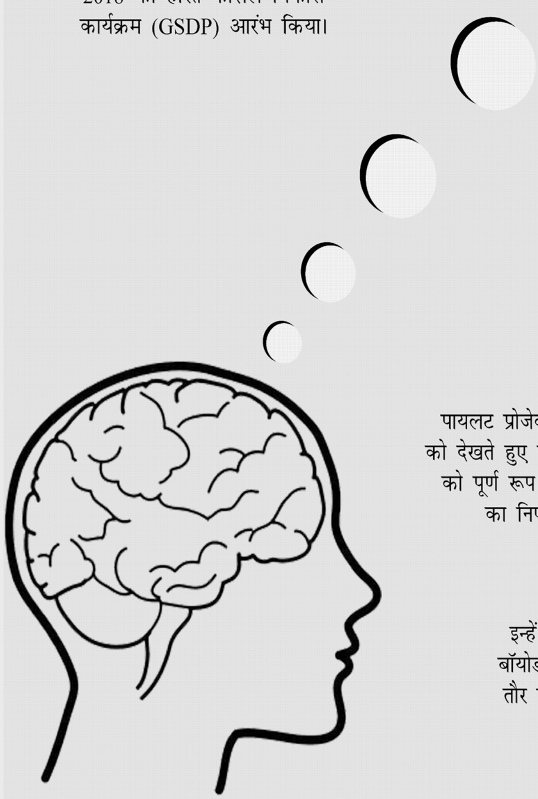

आईपी नानी

क्या है

- मस्कट आईपी नानी तकनीक को समझने और उपयोग करने वाली एक नानी है, जो अपने पोते 'छोटू' आदित्य की सहायता से आईपी अपराधों से लड़ने में सरकार तथा एजेंसियों की मदद करती है।
- यह आईपी मस्कट सुरूचिपूर्ण ढंग से लोगों विशेषकर बच्चों में बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रति जगरूकता फैलायेगा।
- यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के अभियान के अनुरूप है जो महिलाओं की प्रतिभा, सरलता, जिज्ञासा और साहस को दुनिया में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण मानता है।
- यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि एक मजबूत आईपी प्रणाली नवोन्मेषी और रचनात्मक महिलाओं को समर्थन प्रदान करती है।

चर्चा का कारण

- समारोह के दौरान सुरेश प्रभु ने एंटी पायरेसी वीडियो भी लांच किया जिसमें अमिताभ बच्चन ने भूमिका निभाई है।
- केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने 16 मई 2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) कानून पर आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रीय संपदा के प्रतीक चिन्ह (मस्कट)–आईपी नानी का शुभारंभ किया।

आईपीआर नीति का एक हिस्सा

- सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए आईपीआर महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
- केंद्रीय कैबिनेट ने 12 मई 2016 को राष्ट्रीय आईपीआर नीति को मंजूरी दी थी।
- इस नीति के तहत इस बात पर बल दिया गया है कि भारत बौद्धिक संपदा संबंधी कानूनों को मानता है और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए यहां प्रशासनिक तथा न्यायिक ढांचा मौजूद है।
- ज्ञान आधारित समाज के निर्माण के लिए, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए यहां प्रशासनिक तथा न्यायिक ढांचा मौजूद है।
- बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा के लिए केवल कानूनी प्रावधान ही प्रयाप्त नहीं है बल्कि इन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
- बौद्धिक संपदा अधिकार के चोरी किये जाने के संदर्भ में जागरूकता फैलानी चाहिए और इस प्रयास में समाज की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उद्देश्य

- मानव संसाधनों, संस्थानों की शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाना तथा बौद्धिक संपदा अधिकार में कौशल निर्माण करना।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन का मुकाबला करने के लिए प्रवर्तन एवं न्यायिक प्रणालियों को मजबूत बनाना।
- व्यवसायीकरण के जरिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्य निर्धारण।
- सेवा आधारिक बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाना।
- मजबूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना जिससे अधिकृत व्यक्तियों तथा बृहद लोकहित के बीच संतुलन कायम हो सके।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ावा।
- समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना।

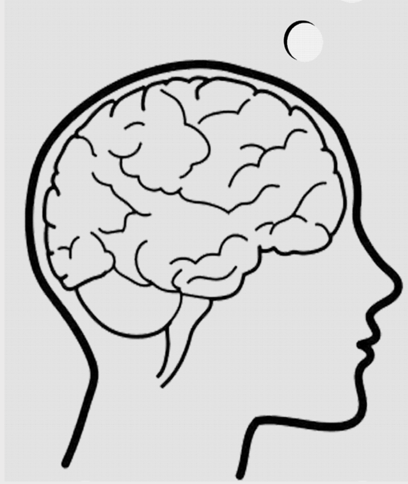

बढ़ता दूषित जल का खतरा

चर्चा का कारण

- इस दूषित पानी की उपलब्धता के दायरे में 44.41 करोड़ आबादी आ गई है।
- हाल ही में केंद्रीय एजेंसी 'एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली' द्वारा पानी की गुणवत्ता को लेकर जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में 70,736 बस्तियाँ दूषित जल से प्रभावित हैं।

होने वाली बीमारियाँ

- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार खतरनाक रासायनिक तत्वों के मिश्रण वाले पानी से प्रभावित इलाकों में ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी ज्यादा है।
- आर्सेनिक युक्त जल से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।
- आर्सेनिक युक्त जल के निरंतर सेवन से देश के लोगों में शारीरिक कमजोरी, थकान, तपेदिक (टी.बी.), श्वास संबंधी रोग, पेट-दर्द, जिगर एवं प्लीहा में वृद्धि, खून की कमी, बदहजमी, वजन में गिरावट, आंखों में जलन, त्वचा संबंधी रोग आदि फैल रहा है।

विशेष तथ्य

- पेयजल की उपलब्धता और इसकी गुणवत्ता से जुड़े सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सेहत के लिये खतरनाक रासायनिक तत्वों की मिलावट वाले दूषित पानी की उपलब्धता से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में राजस्थान, पश्चिम बंगाल और असम शीर्ष पायदान पर हैं।
- राजस्थान में 5,996 बस्तियों के 40.96 लाख लोग फ्लोराइड से, 12606 बस्तियों में रहने वाले 28.53 लाख लोग लवणता युक्त पानी से और 1050 बस्तियों के 8.18 लाख लोग नाइट्रेट मिश्रित पानी के इस्तेमाल को विवश हैं।
- आर्सेनिक युक्त पानी की उपलब्धता से असम सर्वाधिक प्रभावित है। राज्य की 4,514 बस्तियों में रहने वाली 17 लाख की आबादी को आर्सेनिक युक्त पानी मिल रहा है।
- दूषित जल की उपलब्धता से प्रभावित आबादी के मामले में पश्चिम बंगाल अव्वल है, जबकि गोवा, गुजरात और हिमालच प्रदेश के अलावा पूर्वोत्तर राज्य में मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम एवं केंद्र शासित क्षेत्र पदुच्चेरी में एक भी बस्ती किसी भी प्रकार के दूषित जल से प्रभावित नहीं है।

सरकारी पहल

- साथ ही केंद्र सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत राज्य सरकारों को पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिये तकनीकी एवं वित्तीय मदद मुहैया करा रही है।
- इन बस्तियों को चार साल के भीतर इस समस्या से निजात दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
- केंद्र सरकार ने आर्सेनिक और फ्लोराइड मिश्रित पानी की समस्या से प्रभावित 28 हजार बस्तियों सहित पूरे देश में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता अभियान गत वर्ष मार्च में शुरू किया था।

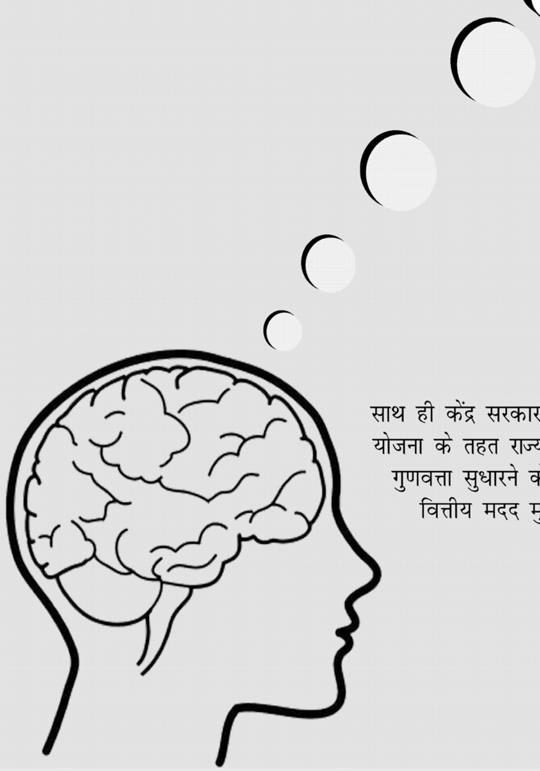

15वें वित्त आयोग के विषय एवं शर्तों पर आपत्ति

चर्चा का कारण

- इन राज्यों का आरोप है कि इसमें संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है और साथ ही यह संविधान का अनुपालन नहीं करता।
- इनकी मांग है कि टर्म ऑफ रेफरेंस में 13 संशोधन होना चाहिए।
- केंद्र द्वारा जुटाये गये करों में राज्यों की हिस्सेदारी को लेकर इन राज्यों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया।
- छह राज्यों आंध्रप्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, पुडुचेरी ने 15वें वित्त आयोग के विषय एवं शर्तों को लेकर राष्ट्रपति के समक्ष याचिका प्रस्तुत की।

समस्या क्या है?

- अब तक की नीति के मुताबिक 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के साथ वित्त साझा किया जाता रहा है। अब वर्ष 2011 की जनगणना को आधार बनाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कई दक्षिण भारतीय राज्यों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दक्षिण भारतीय राज्यों की जनसंख्या वृद्धि (1971 की तुलना में) केवल 6 फीसदी है, जबकि देश के कुछ राज्यों की जनसंख्या वृद्धि 150 फीसदी तक हुई है।
- जनगणना आधार में बदलाव के कारण इन राज्यों को सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि मुख्यतः दक्षिणी राज्य 15वें वित्त आयोग के संदर्भित शर्तों पर गंभीर आपत्ति जता रहे हैं।
- जनसंख्या नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले इन प्रतियोगी राज्यों को देखें तो विशेष रूप से, दक्षिणी राज्यों को अधिक धनराशि का आवंटन हो सकता है क्योंकि उनके परिवार नियोजन पहल ने लगभग अपनी आबादी को स्थिर कर दिया है।
- यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्व स्थिति की अपेक्षा जनसंख्या नियंत्रण में काफी सफलता मिली है और नवीनतम जनगणना का आधार उनके आवंटन का हिस्सा कम कर सकता है।
- इस प्रकार यह स्थिति अंतर्राज्यीय तनाव पैदा कर रही है जो देश की अखंडता के लिये घातक है।

वित्त आयोग

- भारतीय वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गयी थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत के केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना था। वित्त आयोग प्रत्येक पाँच वर्ष बाद नियुक्त किया जाता है।
- वित्त आयोग एक अर्द्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 में किया गया है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर, 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की थी जिसका कार्यकाल 2020-25 तक होगा।

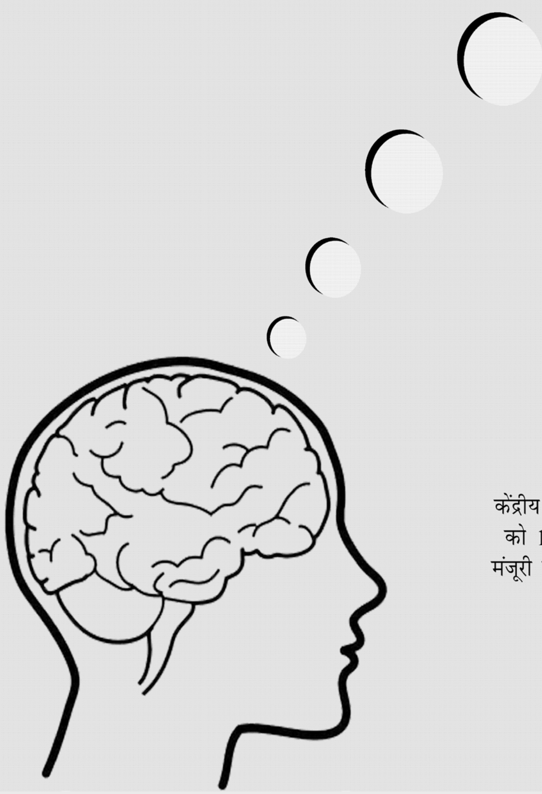

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. सेवाओं में व्यापार सुविधा समझौता

प्र. सेवाओं में व्यापार सुविधा समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. सेवाओं में वैश्विक व्यापर को आसान करने के लिए यह समझौता भारत द्वारा 2016 में WTO की बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया था।
2. यह सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते की आपूर्ति के चारों तरीकों पर प्रावधान निर्धारित करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/है?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में भारत ने सेवाओं में व्यापार सुविधा समझौते को लागू करने के लिये विश्व व्यापार संगठन से कहा है तथा यह माना है कि ऐसा करने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यापार में लेन-देन लागत को कम करना है। सेवा क्षेत्र को इसमें शामिल करने से लेन-देन लागत में कमी आएगी। भारत में सेवा क्षेत्र काफी बड़ा है। यहाँ की कुल GDP का 60% व कुल रोजगार का 28% भाग सेवा क्षेत्र से आता है। व्यापार सुविधा समझौता के संदर्भ में दिये गये दोनों कथन सत्य है इसलिए उत्तर (c) होगा। ■

2. कावेरी जल विवाद

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कावेरी जल विवाद के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह अपने अंतर्राज्यीय बिलीगुंडलु बांध से कावेरी नदी का 177.25 टीएमसीएफटी जल तमिलनाडु के लिए छोड़े।
2. वर्ष 1910 में मैसूर प्रशासन ने कन्नाम्बाडी में एक जलाशय बनाने का प्रस्ताव दिया था।
3. कावेरी जल विवाद की जड़े भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी तथा मैसूर राज्य के बीच वर्ष 1892 एवं वर्ष 1924 में हुए दो समझौते हैं।
4. सर्वोच्च न्यायालय ने 16 फरवरी 2018 को केंद्र सरकार को कावेरी जल प्रबंधन पर योजना बनाकर पेश करने का आदेश दिया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 3

(b) केवल 1, 3 व 4

(c) केवल 2 व 4

(d) 1, 2, 3 व 4

उत्तरः (d)

व्याख्याः सर्वोच्च न्यायालय ने 18 मई 2018 को कावेरी के तट पर स्थित दक्षिण भारत के चार राज्यों के बीच सुगम तरीके से जल बंटवारा सुनिश्चित करने हेतु कावेरी प्रबंधन योजना संबंधी केंद्र सरकार के मसौदे को मंजूरी दे दी है। कावेरी जल विवाद के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सत्य हैं इसलिए उत्तर (d) होगा। ■

3. राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति इस शर्त के अधीन है कि एक संसाधन की पावर क्षमता रेटेड हाइब्रिड प्रोजेक्ट को मान्यता प्राप्त करने के लिए अन्य संसाधनों की रेटेड पावर क्षमता का कम से कम 30 प्रतिशत होनी चाहिए।
2. नई नीति हाइब्रिड परियोजनाओं के साथ-साथ मौजूदा पवन या सौर परियोजनाओं एक साथ जोड़कर बढ़ावा देने की मांग करती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 व 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति इस शर्त के अधीन है कि एक संसाधन की पावर क्षमता रेटेड हाइब्रिड प्रोजेक्ट को मान्यता प्राप्त करने के लिए अन्य संसाधनों की रेटेड पावर क्षमता का कम से कम 25 प्रतिशत होना चाहिए। इस तरह कथन 1 गलत है। उल्लेखनीय है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 14 मई 2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति जारी की। इस तरह कथन 1 गलत है इसलिए उत्तर (d) होगा। ■

4. हरित कौशल विकास कार्यक्रम

प्र. निम्नलिखित में गलत कथन का चयन करें-

(a) हरित कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 50 प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किये जाएंगे तथा वर्ष 2022 तक प्रशिक्षित युवाओं को पर्यावरण संरक्षण हेतु तैयार किया जाएगा।

(b) इस कार्यक्रम के तहत अधिकतर पाठ्यक्रम 10वीं अथवा 12वीं ड्रॉपआउट बच्चों के लिए तैयार किये गये हैं।

(c) हरित कौशल विकास कार्यक्रम को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2017 में देश के 10 जिलों में लॉन्च किया गया था।

(d) इस योजना के तहत सरकार अगले एक साल के भीतर देश के करीब 80 संस्थानों में 80,000 युवाओं को प्रशिक्षण देगी।

उत्तर: (a)

व्याख्या: केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने 14 मई 2018 को हरित कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुशल कार्यबल की बढ़ती मांग को पूरा करना है। हरित कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 30 प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किये जाएंगे तथा वर्ष 2021 तक प्रशिक्षित युवाओं को पर्यावरण संरक्षण हेतु तैयार किया जाएगा। इस तरह कथन (a) गलत है इसलिए उत्तर (a) होगा। ■

5. आईपी नानी

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. मस्कट आईपी नानी तकनीक को समझने और उपयोग करने वाली एक नानी है, जो अपने पोते की सहायता से आईपी अपराधों से लड़ने में सरकार तथा एजेंसियों की मदद करती है।
2. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना है।
3. केंद्रीय कैबिनेट ने 12 मई 2017 को राष्ट्रीय आईपीआर नीति को मंजूरी दी थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने 16 मई 2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) कानून पर आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रीय संपदा के प्रतिक चिह्न-आईपी नानी का शुभारंभ किया। यह आईपी मस्कट सुरूचिपूर्ण ढंग से लोगों विशेषकर बच्चों में बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रति जागरूकता फैलायेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने 12 मई 2016 (न कि 2017) को राष्ट्रीय आईपीआर नीति को मंजूरी दी थी। इस तरह कथन 3 गलत है अत: उत्तर (a) होगा। ■

6. बढ़ता दूषित जल का खतरा

प्र. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है-

(a) दूषित जल की उपलब्धता से प्रभावित आबादी के मामले में पश्चिम बंगाल अव्वल है।

(b) आर्सेनिक युक्त पानी की उपलब्धता से राजधानी नई दिल्ली सर्वाधिक प्रभावित है।

(c) राजस्थान के 5996 बस्तियों में रहने वाले 40.96 लाख लोग फ्लोराइड से तथा 12606 बस्तियों में रहने वाले 38.53 लाख लोग लवणता युक्त पानी से प्रभावित हैं।

(d) पानी की दूषित उपलब्धता से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में राजस्थान, पश्चिम बंगाल और असम शीर्ष पायदान पर हैं।

उत्तर: (b)

व्याख्या: हाल ही में केंद्रीय एजेंसी 'एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली' द्वारा पानी की गुणवत्ता को लेकर रिपोर्ट के मुताबिक देश में 70736 बस्तियाँ दूषित जल से प्रभावित हैं। इस पानी की उपलब्धता के दायरे में 47.41 करोड़ आबादी आ गई है। स्मरणीय है कि आर्सेनिक प्रभावित युक्त पानी की उपलब्धता से असम सर्वाधिक प्रभावित है अत: कथन (b) गलत है इसलिए उत्तर (b) होगा। ■

7. 15वें वित्त आयोग के विषय एवं शर्तों पर आपत्ति

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वित्त आयोग एक अर्द्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 285 और 286 में किया गया है।
2. भारतीय वित्त आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी।
3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2016 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की जिसका कार्यकाल 2020-25 तक होगा।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 3 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 2 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (d)

व्याख्या: वित्त आयोग एक अर्द्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। अत: कथन 1 गलत है। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी इस प्रकार कथन 2 गलत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की थी। अत: कथन 3 भी गलत है। इस प्रकार से सही उत्तर (d) होगा। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस देश में अरुण तीन पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी है।

   - ***नेपाल***

2. वह देश जिसमें साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, 2017-18 के अनुसार सबसे अधिक इन्टरनेट पर प्रतिबन्ध लगाया गया।

   - ***भारत***

3. वह देश जो बिम्सटेक 2018 की मेजबानी करेगा।

   - ***नेपाल***

4. वह देश जिसने सर्बिया में आयोजित की गयी चार देशों की अंडर-16 फुटबॉल प्रतियोगिता फाइनल में ताजिकिस्तान को 4-2 से हराकर जीत ली है।

   - ***भारत***

5. भारतीय मूल के भौतिकी के वैज्ञानिक जिन्हें नौ बार नोबल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया।

   - ***ई. सी. जॉर्ज सुदर्शन***

6. वह संस्था जिसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 2,39,000 नवजात लड़कियों को मारा जाता है।

   - ***द लांसेट***

7. डब्ल्यूएचओ ने 2023 तक खाद्य पदार्थों से ट्रांस फैटी एसिड समाप्ति हेतु यह अभियान आरंभ किया।

   - ***रिप्लेस***

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ
(निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

1. एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता; इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है।

   - कॉलिन पॉवेल

2. कल से सीखें, आज में जीएँ, कल के लिए उम्मीद रखें। जरूरी यह है कि प्रश्न करना मत छोड़ें।

   - ऐल्बर्ट आइन्स्टीन

3. हिंसक तरीकों से हिंसक स्वतंत्रता मिलेगी। यह दुनिया के लिए और खुद भारत के लिए एक गंभीर खतरा होगा।

   - महात्मा गाँधी

4. हर दो मिनट की शोहरत के पीछे आठ घंटे की कड़ी मेहनत होती है।

   - जेसिका सैविच

5. मौत कुछ भी नहीं है, लेकिन हार कर और लज्जित होकर जीना रोज मरने के बराबर है।

   - नेपोलियन बोनापार्ट

6. सच्ची राजनीति मानवीय प्रसन्नता को बढ़ावा देने के बारे में है।

   - जयप्रकाश नारायण

7. शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है।

   - नेल्सन मंडेला

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. क्या सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने की कोशिश की? जांच करें।

2. विधायिका की अध्यादेश बनाने की शक्ति का इस्तेमाल संविधान के उचित सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। वर्तमान के कुछ उदाहरण देते हुए कथन के महत्व को बताएं।

3. भारत व रूस के सम्बन्धों में हाल में शिथिलता आने के कारणों की चर्चा करें। सम्बन्धों में सुधार की दिशा में क्या कदम उठाये जाने की आवश्यकता है?

4. तेल के दामों में होने वाला उतार-चढ़ाव अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। इस उतार-चढ़ाव से बचने के लिए भारत द्वारा क्या कदम उठाये जाने की आवश्यकता है? चर्चा करें।

5. ड्रोन का प्रयोग विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक उपयोगी होगा परंतु साथ ही इसके नियमन सम्बन्धी चुनौतियाँ भी हैं। भारत में ड्रोन के विनियमन सम्बन्धी नीति की आवश्यकता है या नहीं, मूल्यांकन करें।

6. आज जबकि कई यूरोपीय देश बांधों को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारतीय परिप्रेक्ष्य में बांधों को हटाये जाने सम्बन्धी विचार का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

7. भारत में नदियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर चर्चा करें। भारत में नदी कायाकल्प सम्बन्धी कार्यक्रमों की विफलता के पीछे कारकों की जांच करें।